

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

23 अगस्त, 1988

खण्ड 2 अंक 2

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 23 अगस्त, 1988

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(2)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(2)26
विभिन्न विशयों को उठाया जाना	(2)28

ध्यानकर्षण प्रस्ताव—	
हरियाणा में वर्ष तथा बाढत्र से फसल तथा सम्पत्ति को हुई हानि संम्बन्धी	(2)30
वर्ष 1983—84 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगो पर चर्चा तथा मतदान	(2)31
बिल्ज—	
(i) दि पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट्स (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल, 1988	(2)61
(ii) दि पंजाब टाउनशिप्स (स्ट्रीट लाइटिंग एण्ड वाटर सप्लाई) फीस हरियाणा रिपील बिल, 1988	(2)73

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 23 अगस्त, 1988

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 9:30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Setting up of Primary Health Center/Sub-Centre at Rai

***607. Shri Maha Singh:** Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open Primary Health Centers/Sub-Centres in Rai constituency of district Sonipat; and

(b) if so, the time by which the said Centres/Sub-Centres are likely to be opened?

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री (श्रीमती कमला वर्मा):

(क) नहीं।

(ख) प्र न पैदा नहीं होता।

श्री महा सिंह: अध्यक्ष महोदय गवर्नमेंट के नौमर्ज बने हुए हैं कि इतनी आबादी के पीछे इतने पी०एच०सीज० होंगे या सब-सैन्टर्ज होंगे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँता हूँ कि क्या हल्का राई ये नौमर्ज लागू नहीं होते?

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हे बताना चाहूँगा कि हल्का राई में नौमर्ज के अनुसार ही पी० एच० सी० और सब-सैन्टर्ज वगैरा बन चुके हैं। अब वहाँ पर एक कम्युनिटी हैल्थ सैन्टर बनना है, जो बड़खालसा में बनना विचारधीन है। वह भी इस साल के अन्त तक हम बना देंगे।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि एक यसल के अर्से के दौरान इन्होंने कितने पी० एच० सी० और उप केन्द्र नए खोले हैं? दूसरा सवाल यह है कि इनके खोले जाने का क्या माप दण्ड है, आया कोई क्षेत्र या उस क्षेत्र की आबादी को ध्यान में रखा जाता है या जनता की मांग पर कोई पी० एच० सी० या सब-सैन्टर वगैरा खोला जाता है? इसके साथ ही साथ यह भी बताने का कश्ट करें क जहाँ पर ये सभी नौमर्ज पूरे होते हैं, क्या वहाँ पर सरकार तुरन्त ही यह सब-सैन्टर या पी० एच० सी० वगैरा खोलने का विचार रखती है?

श्रीमति कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, जून 1987 के बाद हम अब तक 9 फीसदी हैल्थ सैन्टर्ज, 19 पी०एच०सीज० और 201

सब-सैन्टर्ज नए बना चुके हैं। इनका दूसरा सवाल नौमर्ज का है। सरकार के नौमर्ज के मुताबिक 5 हजार की आबादी पर एक सब-सैन्टर 25 हजार से 30 हजार की आबादी पर एक पी0 एच0 सी09 और 1 लाख से अधिक की फण्डज होते जाते हैं उसी हिसाब से हम यह काम रकते जाते है। अब 7 वी पंचवर्षीय योजना मे बजट व निर्धारित लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए हम यह काम कर रहे हैं और उसी आधार पर नए उप केन्द्र या पी0 एच0 सी0 बनाते जा रहे हैं।

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, इन्होंने इस सवाल के "ख" भाग का जवाब लिखा है कि प्र न पैदा नहीं होता। आप जितने भी जवाब पढ़ेंगे, उनमें यह लिखा मिलेगा कि सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता, इससे काम लने वाला नहीं है अगर इस समय वह काम नहीं हो सकता तो कब तक हो जाएगा यह बता दें? यह तो ना लिखे कि सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, राई क्षेत्र में नौमर्ज के अनुसार सब केन्द्र पी0 एच0 सी0 याह कम्युनिटी हैल्थ सैन्टर बन चुके हैं, इसलिए जवाब में लिख गया है कि प्र न ही पैदा नहीं होता।

श्री महां सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि हल्के की कितनी पापुले 1 न हैं, वहां पर कितनी पी0 एच0 सीज0 या सब-सैन्टर्ज आदि हैं?

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, राई हल्के में 4 पी0 एच0. सीज0, 32 सब सैन्टर्ज एक आयुर्वेदिक डिस्पैन्सरी और 2 ई0 एस0 आई0 डिस्पैसरीज खोली जा रही हैं। इसके अलावा, बड़खालसा में पंचायत बिल्डिंग बना कर दे रही हैं जहां पर कम्युनिटी हेल्थ बना रहे हैं। उम्मीद है कि इस साल के अन्त तक सैन्टर चालू हो जाएगा।

श्री भगवान सहाय रावत: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जहां पर सारे नौमर्ज पूरे हो चुके हैं, जैसे मेरे हल्के के औरंगाबाद और नांगल जाट दो गांव हैं, वहां पर सारे नौमर्ज पूरे है लेकिन इस के बावजूद भी वहां पर अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है?

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: अभी मंत्री महोदया ने अपने जवाब में बताया था कि अब तक हमने 9 पी0एच0सी0 नए खोले हैं। पिछले बजट से 1 न में पी0 एच0 सी0 खोलने का टारगैट 30-40 के लगभग है। चालू साल के 6 महीने बीत चुके हैं और इन 6 महीनों में अभी तक 9 पी0 एच0 सी0 ही पूरे किए गए हैं। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि क्या चालू साल के

समाप्त होने तक टारगैट रखा गया है, उसे पूरा कर दिया जायेगा?

श्रीमति कमला वर्मा: हमारे काम में कोई कमी नहीं है। हम साल के अन्त तक अपना टारगैट पूरा कर लेंगे।

डा० बृज मोहन: अध्यक्ष महोदय, जगाधरी में 25 बैडज का सिविल हस्पताल है। वहां की आबादी बहुत अधिक होने की वजह से लोगों को बहुत अधिक परे ानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि क्या उस हस्पताल को 25 बैडज से अधिक बढ़ाने की कृपा करेंगी?

श्री अध्यक्ष: यह सवाल जगाधरी का नहीं है।

श्री महा सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो संख्या इन्होंने राई हल्के की बताई है कि इतने पी० एच० सी० सब-सैन्टर या डिस्पेंसरीज हैं, क्या उसके बारे में ये लिख कर मुझे दे देंगी?

श्रीमती कमला वर्मा: बिल्कुल लिख कर दें दूगी।

Persons registered with Employment Exchanges

***624. Dr. Brij Mohan:** Will the Minister of State for Labour and Employment be pleased to state-

(a) the total number of persons registered with the Employment Exchanges in the State during the period from 16th February, 1988 to date, Employment Exchange-wise, separately; and

(b) the total number of Graduated, Post Graduates, Medical Graduates, Engineering Graduates & Law Graduates registered, separately, in the Employment Exchanges in the State?

श्रम तथा रोजगार मंत्री (श्री बलवीर सिंह):

(क) दिनांक 1-2-88 से 31-1-88 तक राज्य के रोगार कार्यालयों में पजीकृत कुल प्रार्थियों का रोजगार कार्यालय अनुसार ब्योरा सदन के पटल पवर रखा जाता हैं ।

(ख) दिनांक 30-6-88 को राज्य के रासेजगार कार्यालयों के सर्जीव रजिस्टर पर कुल स्नातक, स्नातकोत्तर, चिकित्सा स्नातक, इंजीनियरिंग स्नातक एवं कानून स्नातक प्रार्थियों की सूचना इस प्रकार हैं—

क्रमांक	श्रेणी	संख्या
1	स्नातक	21961
2	स्नातकोत्तर	5517
3	चिकित्सा स्नातक	1000
4	इंजीनियरिंग स्नातक	366
5	कानून स्नातक	233

ब्योरा

क्रमांक	श्रेणी	संख्या
1	2	3
1	मंडल रोजगार कार्यालय, अम्बाला	5925
2	नगर रोजगार कार्यालय पंचकूला	3396
3	मंडल रोजगार कार्यालय, यमुनानगर	4703
4	ग्रामीण रोजगार कार्यालय बराड़ा	643
5	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, छछरौली	847
6	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, कालका	1352
7	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, मोरनी	287
8	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, नारायणगढ़	1188
9	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, रायपुररानी	650

10	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, संढौरा	339
11	जिला रोजगार कार्यालय, कुरुक्षेत्र	1487
12	यू0 इ0 बी0, कुरुक्षेत्र	82
13	नगर रोजगार कार्यालय, कैथल	2063
14	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, गुहला	670
15	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, लाडवा	577
16	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, पिहोवा	655
17	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, पुण्डरी	1078
18	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, रादौर	557
19	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, भाहबाद	1147
20	जिला रोजगार कार्यालय, करनाल	3155
21	जिला रोजगार कार्यालय, पानीपत	3354
22	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, असन्ध	674
23	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, इन्द्री	684
24	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, धरोण्डा	1629

25	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, नीलाखेड़ी	934
26	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, नीसिंग	332
27	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, समालखा	721
28	मंडल रोजगार कार्यालय, रोहतक	2856
29	यू0 इ0 बी0, रोहतक	209
30	नगर रोजगार कार्यालय, बहादुरगढ़	1778
31	नगर रोजगार कार्यालय, झज्जर	1204
32	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, बेरी	678
33	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, कलानौर	697
34	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, कोसली	402
35	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, महम	994
36	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, मातनहेल	447
37	जिला रोजगार कार्यालय, सोनीपत	2447
38	नगर रोजगार कार्यालय, गन्नौर	2229

39	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, गन्नौर	884
40	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, खरखौदा	669
41	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, राई	424
42	जिला रोजगार कार्यालय, जींद	2866
43	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, जुलाना	609
44	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, कलायत	694
45	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, पिल्लूखेड़ा	479
46	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, सफीदों	686
47	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, उचाना	698
48	नगर रोजगार कार्यालय, नरवाना	1325
49	मंडल रोजगार कार्यालय, भिवानी	2896
50	नगर रोजगार कार्यालय, चरखी दादरी	2241
51	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, बवानीखेड़ा	922
52	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, लोहारू	495

53	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, सिवानी	678
54	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, तो गाम	566
55	जिला रोजगार कार्यालय, गुडगांवा	2738
56	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, फिरोजपुर झिरका	381
57	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, नूंह	762
58	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, पटौदी	444
59	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, पुनहाना	575
60	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, स	680
61	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, तावडू	540
62	मंडल रोजगार कार्यालय, फरीदाबाद	4255
63	नगर रोजगार कार्यालय, बल्लबगढ़	1005
64	नगर रोजगार कार्यालय, पलवल	1225
65	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, हथीन	768
66	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, होडल	1287

67	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, तिगांव	264
68	जिला रोजगार कार्यालय, नारनौल	1460
69	जिला रोजगार कार्यालय, रिवाड़ी	1771
70	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, बावल	258
71	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, जाटूसाना	606
72	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, महिन्द्रगढ़	1650
73	मंडलरोजगार कार्यालय, हिसार	5168
74	यू0 इ0 बी0 हिसार	136
75	रोजगार कार्यालय, फतेहाबाद	1668
76	नगर रोजगार कार्यालय, हांसी	2421
77	नगर रोजगार कार्यालय, टोहना	947
78	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, आदमपुर	628
79	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, रतिया	497
80	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, उकलाना	615

81	जिला रोजगार कार्यालय, सिरसा	2420
82	नगर रोजगार कार्यालय, डबवाली	1068
83	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, एलनाबाद	520
84	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, कालांवाली	322

* आंकड़े जून, 1988 तक

नोट:— पंजीकृत प्रार्थियों बारे सूचना मासिक आधार पर एकत्रित की जाती हैं।

डा० बृज मोहन: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने ग्रेजुएट्स की जो लिस्ट यहां पर दी हैं, उसमें मैडिकल ग्रेजुएट्स, इन्जीनियरिंग ग्रेजुएट्स और ला ग्रेजुएट्स की संख्या मिला कर दी गई हैं या कि अलग-अलग दी गई हैं?

श्री बलवीर सिंह: ग्रेजुएट्स की संख्या मिलाई नहीं है। बल्कि इनकी संख्या अलग-अलग दी गई हैं।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री महोदय ने जो आंकड़े दिये हैं, उनमें लगभग 21-21 हजार ग्रेजुएट्स, साढ़े

पांच हजार पोस्ट ग्रेजुएट्स, एक हजार मैडिकल ग्रेजुएट्स, इन्जीनियरिंग ग्रेजुएट्स और ला ग्रेजुएट्स सारे मिला कर लगभग 30000 बनते हैं। जब तक इन्हें रोजगार नहीं मिलता तब तक इनको क्या बेरोजगारी भत्ता देने बारे सरकार विचार कर रही हैं?

श्री बलवीर सिंह: यह सैपरेट क्वै चन हैं इसके लिए अलग से नोटिस दें।

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जब चुनाव हुए थे तो क्या सत्तारूढ़ दल द्वारा अपने घोशणा पत्र मे बेरोजगारों को रोजगार देने के बारे में कोई घोशणा की गई थी?

श्री बलवीर सिंह: बेरोजगारों के लिए जो वायदा किया था, वह आते ही इस सरकार ने पूरा कर दिया हैं। इन्टरव्यू के लिए जाते समय या वहां से लौटते समय का किराया सरकार ने मुआफ कर दिया हैं और बेरोजगारो को यह सहूलियत दे दी गई हैं कि जब वे साक्षात्कार के लिए जाएं तो उन्हें किराया नहीं देना पड़ेगा।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, क्या बेरोजगार मंत्री महोदय बताएंगे कि जो वायदा आपने किया था वह पूरा कर दिया हैं कि इन्टरव्यू पर आने जाने के लिए किराया नहीं लगेगा, क्या इस सहूलियत को वापिस लेने का तो कोई विचार नहीं हैं?

श्री बलबीर सिंह: जी नहीं, यह सहूलियत वापिस नहीं ले रहे हैं।

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह नूछना चाहूंगा कि जिन कैटेगरीज के नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं, उनमें से कितने बेरोजगार हरिजन जाति से सम्बन्ध रखते हैं?

श्री बलवीर सिंह: इसके लिये जो आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं, उनके अनुसार 107283 प्रार्थियों ने हमारे यहां रोजगार प्राप्त करने के लिए नाम दर्ज करवाए हैं इनमें से 190806 अनुसूचति जाति 3465 पिछड़े वर्ग तथा 728 अपंग प्रार्थी हैं।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय जी से पूछना चाहूंगा कि इन्होंने अभी जो आंकड़े दिये हैं, इस अवधि के दौरान कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है?

श्री बलवीर सिंह: स्पीकर सर, 1-2-88 से 31-7-88 तक 6700 प्रार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। इनमें से 1905 अनुसूचित जाति, 601 पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित तथा 232 अपंग प्रार्थी हैं जिन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया गया है।

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे हैं अतः मैं इनसे जानना चाहूंगा कि नौकरियों के लिए आवेदन पत्रों के साथ जो पैसा

पोस्टल आर्डर के रूप में लिया जाता है, क्या इस कुप्रथा को बन्द करने के बारे में सरकार विचार कर रही है?

श्री बलवीर सिंह: यह मांग विचारधीन है।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, जो लेगा हरियाणा में कहीं इन्टरव्यू देने के लिए आते हैं, वे बसों में फ्री आते जाते हैं। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो लोग दिल्ली इन्टरव्यू देने के लिए आते हैं, क्या उन्हें भी बसों में फ्री आने जाने की सुविधा देने पर विचार किया जायेगा।

श्री बलवीर सिंह: जो लोग हरियाणा प्रदेश में इन्टरव्यू देने के लिए आते हैं, उन्हीं के लिए बसों का किराया माफ किया गया है। दूसरों प्रदेशों में जशोन वाले नौजवानों के लिये किराया माफ करने के बारे में सरकार के विचारधीन कोई बात नहीं है।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि पिछले पांच सालों से दर्ज नामों की कुल कितनी तादाद है और पांच साल से दस साल तक के नामों की कितनी तादाद है? इनमें से अब तक कितने लोगों को रोजगार नहीं दे पाये हैं?

श्री बलवीर सिंह: इस सवाल का मूल प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है।

डा० बृज मोहन: स्पीकर साहब मंत्री महोदय ने जो सूची दी है, उसमें 100 चिकित्सा ग्रेजुएट्स बताये हैं जिनके नाम ऐम्प्लायमेंट ऐक्सचेजों में दर्ज हैं, जब कि हमारे प्राइमरी हैल्थ सैन्टरज बिना डाक्टरज के खाली पड़े हुए हैं। क्या कारण है कि उन्हें प्राइमरी हैल्थ सैन्टरों में लगाया नहीं जाता?

श्री बलवीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का भी मूल प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है।

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में जो निजी क्षेत्र के उद्योग लगे हुए हैं, उनमें भी रोजगार कार्यालयों की मार्फत ही रोजगार लोगों को मिले, इसके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है?

श्री बलवीर सिंह: स्पीकर साहब, मेरे साथी ने सवाल किया है कि रोजगार कार्यालयों के तहत ही नौकरी मिले, वह तो पहले ही मिल रही है और आगे भी मिलेगी। लेकिन अपने साथी को यह बताना चाहूंगा कि जिन लोगों के दिल में यह बात है कि रोजगार महकमा ही नौकरी देता है, बड़ी भारी भूल है।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मंत्री महोदय ने सदन के पटल पर रखी है, उसके मुताबिक हर साल लाखों के करीब बेरोजगार सेना बढ़ रही है। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अग तक कुल कितने लोगों के नाम हरियाणा स्टेट रोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं?

अध्यक्ष महोदय इन्होंने वायदा किया था कि बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देंगे लेकिन अब यह कह रहे हैं कि दे नहीं पायेंगे इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि स बेरोजगारी कन्ट्रोल करने के लिए सरकार के विचारधीन कोई योजना है जिससे यह बेरोजगारी कन्ट्रोल की जा सके? मंत्री जी ने बताया था कि इनकी पार्टी के सत्ता में आने के बाद से पांच छः हजार लोगों को रोजगार मुहैया किया जा चुका है।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर सर, महेन्द्र प्रताप सिंह जो माननीय सदस्य हैं और कल से कांग्रेस लैजिसलेचर पार्टी के नेता भी बन गये हैं। (व्यवधान व भाोर) ये यहां पर भाायद दूसरी बारी मैम्बर बन कर आये हैं इसलिये कमे से कम इनको सवाल पूछने का तो ज्ञान हो जाना चाहिए कि सवाल कैसे पूछा जाता है। जब हम इनको रोकेंगे और कहेंगे कि इंटररैलेवैन्ट हैं, तो कहेंगे कि हम तो 60—65—80 इकट्ठे हो रहे हैं और ये चार हैं, इनको बोलने नहीं देते। इसलिए मैं गुजारि क रूंगा कि इनको रैलेवैन्ट, ब्रीफ और कंसीड्रेट होना चाहिये ताकि ये आराम से सवाल पूछ सकें और हमें इनको रोकना न पड़े।

Mr. Speaker: No more supplementary on this question please.

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: मैंने तो अभी सवाल पूरा पूछा ही नहीं है। (व्यवधान व भाोर)

Mr. Spaeaker: Mahender Partap ji, please sit down.
No more supplementary now.

Allotment of Surplus\Custodian Land

***638. Shri Rattan Lal Kataria:** Will the Minister for Revenue be pleased to state the area os surplus.custodian land allotted to the person area of land out of that for which actual possession was given to the yearwise, separately?

Mr. Spaeaker: Extension has benn asked for in respect of the question which has been granted. The Communication received from the Minister concerned reads as under:-

“विधायी कार्य

परम अग्रता/तिथि बद्ध

विशय:- विधान सभा तारांकित प्र न सं० बाबत अतिरेक/कस्टोडियन भूमि अलाटमेंट, जो श्री रतन लाल कटारिया, एम० एल० ए० द्वारा पूछा गया के बारे में सूचना उपलब्ध करने सम्बन्धी।

हरियाणा विधन सभा तारांकित प्र न सं० 638 जो श्री रतन लाल कटारिया एम०एल० ए० द्वारा पूछा किया गया हैं, का उत्तर दिनांक 23 अगस्त 1988 को हरियाणा विधान सभा अधिवे ान में देय है। जहां तक विशय लिखित तारांकित प्र न के अतिरेक भूमि की अलाटमेंट, बारे वांछित उत्तर उपलब्ध किये जाने का सम्बन्ध हैं, इस बारे यह वर्णित हैं कि इस मामले में गत 10

वर्शा की जिलावार सूचना मांगी हैं। जो राज्य मुख्यालय पर उपलब्ध न होने के कारण सभी उपायुक्तों से मंगवाई हैं। इस प्रकार उक्त प्र न का उत्तर तैयार करने में काफी समय लगने की सम्भावना है। अतः उनसे अनुरोध है कि उक्त प्र न का उत्तर तैयार करने हेतु रूल्ज आफ प्रोसीर एण्ड कण्डक्ट ऑफ बिजनैस इन दी हरियाणा विधान सभा के नियम 41 के परंतुक (2) के अनुसार कम से कम 15 दिन की बढ़ौतरी दी जाये।

ह0

राजस्व मंत्री हरियाणा

सेवा में

अध्यक्ष,

हरियाणा विधान सभा,

चण्डीगढ़

अ ता: क्रमांक 2885-ए0 आर0 1-88/8515 चण्डीगढ़ दिनांक

21-8-88

पू0 क्रमांक 2885-ए0 आर0 / 1-88 / 26995 चण्डीगढ़ दिनांक

21-8-88

एक प्रति प्रधान सचिव , मुख्य मंत्री हरियाणा, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ प्रेशित हैं ।

ह0

राजस्व मंत्री हरियाणा ।”

Complaint aganst unauthorised Constuction

***598. Shri Ranjit Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the total number of complainsts, if any received against the unauthorised construction in District Grugaon, Faridabad , Bhiwani and Panipat in District Karnal during the last two years together with the action taken thereon?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh): 53. Out of these 28 complainsts have been disposed off. Action in respect of the remaining complaints has been initiated.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह कहा है कि अबैध निर्माण की शिकायत इन तीनों जिलों में 53 मिली हैं। 28 को तो निपटा दिया गया और भोश जो 35 हैं, वे अभी लम्बित हैं। उनके बारे में वे एक पान इनीशियेट करेंगे। मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि 28 मामले जो आपने निपटाये हैं, उसका ब्यौरा क्या है और बाकी लम्बित हैं वे क्यों लम्बित हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, यह जो सवाल है, इसके द्वारा भायद माननीय सदस्य की इन्टै इन पूछने की यह थी कि भाहरों में जो अन-अयोराइज्ड कंस्ट्रक् इन हैं, उसके बारे में यह ब्योरा लेना चाह रहे थे। दरअसल यह सवाल लोकल सैल्फ गवर्नमेंट मंत्री के पास होना चाहिए था। मैंने जो ब्योरा दिया है सैल्फ हुड्डा का दिया है क्योंकि सवाल मेरे नाम से डाल दिया गया। हुड्डा में जो ऐक् इन लिया जा रहा है, वह मैंने बता दिया है।

श्री मंगल सैन: ज्वायंट रिस्पोंसिबिलिटी हैं, आप बता दें।

Mr. Speaker: There is of course joint responsibility, but the facts of that department have to be procured.

Shri Magal Sein: Sir, the Hon'ble Minister must have consulted them also.

श्री वीरेन्द्र सिंह: मेरे पास हुड्डा के बारे में जो इन्फर्मे इन है, वह मैंने सदन के सामने रख दी है और हुड्डा द्वारा जो ऐक् इन लिया जाता है, वह डाक्टर साहब को बता देता हूँ। हम नोटिस सर्व करते हैं। कई केसिज में एफ0 आई0 आर0 भी दर्ज करवाते हैं। नोटिस सर्व करे डिमोलि इन भी हो जाती हैं। इस प्रकार से इनका निपटारा किया जाता है। यह जो 53 केसिज मैंने बताये हैं, इनमें से कई में डिमोलि इन भी हो सकती

है, कईयों में एफ० आई० आर० पैडिंग हैं, बाकी में नोटिस दिये गये हैं।

श्री रणजीत सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि काफी केसिज में हम ने नोटिस दिये हैं। कई बार लोग स्टे ले आते हैं। क्या गवर्नर इसको रोकने के लिये कोई प्रभावी कदम उठाने जा रही हैं ताकि यह लम्बी ऐक्सरसाईज जल्दी खत्म हो जाये?

श्री वीरेन्द्र सिंह: सर, इसी सत्र में हम एक दो बिल ऐसे ला रहे हैं जो हमारी समझ में कड़े स्टैप्स हैं। सरकार यह उम्मीद करती है कि उससे अन-अथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन रुकेगी।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, वीरेन्द्र सिंह जी ने बताया है कि मेरे पास तो हुड्डा का महकमा है और यह सवाल विधान सभा सचिवालय ने वैस ही मेरे नाम से डाल दिया है। ऐसा कहकर उन्होंने आपके ऊपर ओनस डाला है। स्पीकर साहब वे तो इनोसैन्ट है और कुछ जानते नहीं है। उनके लायक दोस्त सम्पत सिंह जी यहां बैठे हैं, अगरवे चाहें तो जवाब दे सकते हैं। हंसी अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि नोटिस जारी किया जाता है, एफ० आई० आर० दर्ज की जाती है तथा औरकई बातें की जाती हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि हुड्डा ने रेजिडेंसियल सैक्टर बनाए है लोगों को रहने के लिये लेकिन वे कौमिसियल सैक्टर बन गए हैं, क्या उनको तोड़ने से पहले एफ० आर० लौज कराई गई थी?

फरीदाबाद के अन्दर तो वहां के ऐडमिनिस्ट्रेटर ने मनमाने ढंग से काम किया है। भाोर एवं व्यवधान) क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब हुड्डा ने रैजीडैिायल सैक्टर बनाए तो क्या प्लान करने वालों ने यह विज्यूलाइज किया था कि लोग यहां पर रहेंगे और उनके लिए दुकानें चाहिए? अगर किसी बच्चे को स्कूल जाने के समय रबड़ चाहिए तो रबड़ लेने के लिए क्या टाउनिप जाएगा? क्या यह सारी चीजें इन-ब्यू थीं अगर थी तो ऐसी बातें क्यों हुई कि उन जगहों पर कोई मार्किट नहीं है और लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए रैजीडैिायल हाउसिज खुल गई?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मंगल सैन ने ऐडमिनिस्ट्रेटर फरीदाबाद की चर्चा की। फरीदाबाद कोम्प्लैक्स और हुड्डा दो अलग-अलग चीजें हैं।

श्री मंगल सैन: मुझे इसका पता है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, बच्चोकं के बारे में इन्होंने जो ऐक्सपरटाईज हासिल की है, उसके लिए मैं इनको मुबारिकबाद देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हुड्डा के रैजोडैिायल सैक्टर में दुकान खोल लेना बिल्कुल गैर कानूनी बात है और अगर कोई खोलेगा तो कानून के तहत उनको डैमोलिा किया जाएगा। उनको वहां पर दुकान खोलने दी जाएगी। स्पीकर साहब, डा0 मंगल सैन ने कहा है कि वहां पर कई गलत काम हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर उस बारे में काल अटैन्ान मोान आएगी

या कोई डिस्कान होगी तो सरकार उसका जवाब देगी और ठोस जवाब देगी और सारी चीजें इसी हाउस में बेनकाब करेंगे।

श्री कुन्दन लाल भाटिया: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि अनअथोराइज्ड कालोनीज लोगों ने बना ली है और लोग मकानों में दुकानें चलाते हैं। स्पीकर साहब, हुड्ड ने अपने ऑफिस खोले हुए हैं, ट्रेजरी ऑफिस वहां पर है। वे जगह खाली नहीं की गई है। आज तक वहां पर दफतर की बिल्डिंग नहीं बनाई गई है। वहां पर स्कूल की बिल्डिंग पर कब्जा कर रखा है और स्कूल की जगह पर थाने खोले हुए हैं क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप भाषण न दीजिए। सवाल पूछिए।

श्री कुन्दन लाला भाटिया: स्पीकर साहब, जो थाने खोले हुए हैं वे स्कूल के अन्दर खोले हुए हैं और अस्पताल भी रहने वाले मकानों में खोले हुए हैं। अगर सरकार ने वहां पर इन संस्थाओं के लिए जगह छोड़ी हुई है तो बिल्डिंग क्यों नहीं बनाई गई है, और स्कूल, थाने और अस्पताल स्कूल की बिल्डिंग में क्यों खोले हुए हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मुझे तो इनकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष: भाटिया जी, आपने कई सवाल जोड़ दिए हैं। आप एक सवाल करिए।

श्री कुन्दल लाल भाटिया: स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हुड्डा के आफिस स्कूल की बिल्डिंग में क्यों खोले हुए हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, यह भाटिया जी ने सही फरमाया कि दफतर स्कूल की बिल्डिंग में खुले हुए हैं। वे इसलिए खुले हुए हैं कि जब सैक्टर बनाए गए तो दफतर की बिल्डिंग नहीं बनी थी। अब बिल्डिंग बन रही है और अब स्कूलन की बिल्डिंग को जल्दी ही वैकैट किया जाएगा।

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, इस सवाल के अन्दर भिवानी जिले का भी थोड़ा बहुत मैन् इन किया गया है। कुल 53 केसिज थे जिनमें से 28 का निपटारा हो चुका है। भिवानी का एक केस श्री भीम सिंह से संबंधित है जोकि बंसीलाल जी के पास आया, श्री बनारसीदास जी के पास भी आया और अब चौधरी देवी लला जी के पास भी आया है। एक ही व्यक्ति का वह केस है और फाईल यूं ही इधर से उधर घूम रही है। अगर उस केस में कोई दोश दिखायी देता है तो उसको फाईनेलाइज करके खत्म क्यों नहीं कर देते? यूं ही फाईल को इधर से उधर घुमाने का क्या लाभ है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह पता नहीं किस किस की बात कर रहे हैं। इसके लिए तो सैपरेट नोटिस चाहिए।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे लाय मंत्री महोदय ने कहा कि अगर कोई काल अटैन्डान्स आयेगा, इस सम्बन्ध में कोई चर्चा होगी तो उसका ठोस जवाब दिया जायेगा और सभी को बेनकाब किया जायेगा। एस बात की मुझे खुशी होगी कि वे यहां पर सब का पर्दा फाट करेंगे और बेनकाब करेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि पीपुल्स अखबार ने तो पहले ही सब को बेनकाब कर रखा है। क्या मंत्री महोदय इस बारे में जरा स्थिति स्पष्ट करेंगे?

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, आप इस हाउस के सब से पुराने सदस्य है। आप क्लीयर सवाल पूछिये। यह कोई सवाल नहीं है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं। गुडगांव के सैक्टर 14 के अन्दर हुड्डा की एक कालोनी है। लोगों ने वहां पर प्लॉट्स लेकर मकान बनाये हुए हैं और बहुत सारा पैसा भी जमा करवाया है लेकिन अब उस कालोनी को गिराया जा रहा है। क्या सरकार उनको गिराने की साजिश कर रहे हैं? भांग एवं व्यवधान

श्री वीरेन्द्र सिंह: I object to this. इस तरह कि साजिश और फिर यह सरकार करे, यह कहना दुःखदायी बात है।
(गोर)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, जब इन्होंने कहा कि पर्दा फाटा किया जाएगा, तभी मैंने यह पूछा है (गोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, मैं अब यही कहूंगा कि यह झूठा प्रचार है और इसको बेनकाब किया जाएगा। पर्दा फाटा किया जाएगा।

श्री मंगल सैन: साजि तो सरकार ही कर रही है। (गोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, डाक्टर आवे में आकर यह बस कुछ कह रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूँ कि गुडगांव में सैक्टर 14 की हुड्डा की कालोनी को गिराने का हुड्डा का या सरकार का कोई हुक्म नहीं है। डिफ़ैन्स ऐक्ट 1903 के तहत यह भारत सरकार का आदेश है। यू ही आवे में आकर डाक्टर सहाब ने ऐसा सवाल पूछ लिया। उन्हें जरा ठण्डे दिल से सवाल पूछना चाहिये थे ताकि हम उनको स्पष्ट स्थिति बताते। सही इंफ़र्मेसन पब्लिक तक पहुंचनी चाहिये और आप की कोई बात ही नहीं है। डाक्टर साहब का हना कि यह सरकार इस तरह की मिली जुली सरकार है। अगर डाक्टर साहब को यहां भी साजि नजर आ रही है तो फिर मैं और क्या कर सकता हूँ?

श्री क्रांति प्रकाश भल्ला: अध्यक्ष महोदय, पंचकूला के अन्दर बहुत सारी जमीन हुड्डा द्वारा ऐक्वायर की जा रही है और उस जमीन पर बहुत से छोटे दुकानदार मजदूर जमींदार बैठे हुए

हैं। क्या सरकार पहले उन लोगों को कहीं और बसाने का प्रबन्ध का विचार रखती हैं ताकि उन लोगों को उजड़ने से बचाया जा सके?

(11:00 बजे)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, यह सवाल पंचकुला के बारे में तो नहीं हैं लेकिन मैं इनके पास पंचकुला चला जाऊंगा और जो इनकी तकलीफ होगी उसे दूर करेंगे।

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं उपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अनाधिकृत निर्माण के बारे में सवाल था और बताया गया कि 53 िाकायतों इनकी मिली थी। उनमें से 28 निपटारा कर दिया गया था। यह स्वाभाविक और अपेक्षित था कि जो 28 िाकायतो का निपटारा किया गया, उसके बारे में सउदन कीो मालूम होता कि क्या निपटारा किया गया लेकिन वह जानकारी यहां नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होती है कि वे इस बात की निगरानी रखें कि अनाधिकृत निर्माण न हो, उनके रहते हुए अगर ऐसी िाकायतें उनकी ओर से दर्ज नहीं करायी जाती बल्कि पब्लिक की ओर से की जाती हैं, तो क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है या की जा रही है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: ये जो 53 रिक्वायर्मेंटें मैंने बताईं, ये सारी पब्लिक की तरफ से आईं। हुड्डा ऑफिसर के सुआ मोटो ऐक्टान पर भी ऐक्ट करता हैं। हमारे पास बहुत कम्प्लेंट्स हैं और एफ0 आई0 आर्ज0 मौजूद हैं जिनमे कुछ पर ऐक्टान हो चुका हैं और कुछ पर अभी होना हैं। यह जो अनाधिकृत निर्माण की बीमारी फैलती जा रही हैं हम इसको रोकने के लिए इसी सत्र में बड़ा सख्त कानून बना रहे हैं ताकि इस बीमारी को रोका जा सके।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं बड़े अदब के साथ आपकी सेवा में रिक्वैस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे माननीय मित्र ने कहा कि यह बी0 जे0 पी लोकदल की मिली जुली सरकार हैं। उन्होंने मुझे यह याद दिलाया, भायद मैं भूल चला था, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं इनका आभारी हूँ कि ये समय समय पर मुझे याद दिलाते रहते हैं। ठीक हैं जी, उम्र की भी बात हैं और हालात की भी बात हैं। आदमी कई बार भूल जाता हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरे मित्र साजि आ भाब्द के अर्थ को समझे। 'I Still stand by the word conspiracy' क्या यह गवर्नमेंट आफ इंडिया की साजि आ हैं या ब्योरोक्रेसी की साजि आ है? ऐडवर्टाईजमेंट करे गुडगांव में लोगों को प्लॉटर दिए गए जिन पर लोगों ने मकान बनाए, अब उनको तोड़ने की बात क्यों की जा रही हैं? अगर यह गवर्नमेंट आफ इंडिया का स्टैप है तो इसको रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, भुक्र है कि डा० मंगल सैन हरियाणा से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साजि 1 पर पहुँच गए बडी मेहरबानी हैं इनकी कि He has correctd him self जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ताल्लुक हैं, 1903 का पुराना डिफैस ऐक्ट हैं। आपको याद होगा, जब मारुति का कारखाना लगने जा रहा था तो मामला पार्लियामेंट में बड़े जोर भाोर से उठाया गया था। बड़ा भारी एतराज किया गया था और इस पर पार्लियामेंट में बडी डिबेट हुई थी। हमने भी यही टेक अप किया हैं कि जब मारुति की बिल्डिंग बनी थी उस समय विपक्ष ने एक मत होकर कहा था कि यह ऐक्ट की वयाले 1न हैं, पडौस में जो डिफैस को इंस्टोले 1ज हैं उसके पास यह बिल्डिंग बनाना गलत हैं। उस समय गवर्नमेंट आफ इंडिया ने सइ तरफ ध्यान नहीं दिया और अब जबकि वहा पर सैक्टर आबाद हो गया हैं और मकानात बन गए हैं, उनको गिराने से लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हमने कहा हैं कि इस मैअर को टेक अप न किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह 1ममला ठीक ढंग से सुलझ जाएगा।

चौधरी महेन्द्र प्रताप: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने एक सवाल के जवाब में बताया हैं कि फरीदाबाद के अन्दरी कुछ दुकानें तोड़ी गई हैं। फरीदाबाद मे जो सैक्टरज आबाद हुए हैं, उनके अन्दर सैकड़ो की तादाद मे दुकानें तोड दी गई हैं। यह कानूनो की अवमानना की गई है। सरकार ने जहा पर नागरिको को मकान बनाने के लिए पलाट्स दिए थे, वहां पर ऐग्रीमेंट के

मुताबिक उनको मार्किट की प्रोवाइड की गई थी। लेकिन आज उन मार्किट्स में कोर्ट चल रही हैं और उनमें स्कूलों की जा बिल्डिंग मुहैया की गई थी, उनमें अनेकों सरकारी दफ्तर चल रहे हैं, क्या यह कानूनों की अवमानना नहीं है? इस तरह से वहां पर कानूनों की अवमानना की जा रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वहां पर 10-10 साल से जो दुकाने चल रही हैं, उन पर पेनल्टी बगैरह लगा कर क्या सरकार उनो रैगुलर करने के बारे में कोई विचार करेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, महेन्द्र प्रताप सिंह जी ने सवाल पूछा है कि वहां पर अदालत क्यों खुली हुई है? मैं अपने मानीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वहां पर अदालत बहुत पुराने समय ने खुल हुई है और भायद वह अदालत उस समय की खुली हुई है जिस समय मैं और महेन्द्र प्रताप जी इस हाउस में नहीं आए थे। अब हम आहिस्ता-आहिस्ता अदालत की बिल्डिंग बाहर बना रहे हैं और काम चालू है।

Low Lying areas Flooded by Rains

*626. Shri Lachhman Dass Bajaj: Will the Minister for Revenue be pleased to state whether any area of Karnal or its surrounding has been flooded during the recent rains; if so, the details there of together with the steps, if any, taken or proposed to be taken to dewater the flooded area?

राजस्व मंत्री (श्री सूरज भान): जी हां। हाल ही की बाढ़ से करनाल जिला के 56 गांव प्रभावित हुए। बाढ़ का पानी

काफी मात्रा में उतर गया है और निचले क्षेत्रों में खड़े हये पानी निकालने का कार्य प्रगति पर हैं।

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि करनाल ओर कुरुक्षेत्र जिलों में बाढ़ के कारण कितने व्यक्तियों की मौत हुई है? इसके अलावा, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सारे प्रदेश के अन्दर कितने किसानों की ट्यूबवैल्ज की खराब मोटरों कुओं से बाहर निकालने पर जहरीली गैस से मौत हुई है?

श्री सुरज भान: स्पीकर साहब, यह सवाल तो करनाल जिले के बारे में है और सब्जेक्ट पर एक काल अटैं न मो इन भी है, उसके जवाब में मैं सारी स्थिति बता दूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बता देता हूँ कि बाढ़ के कारण हरियाणा के अन्दर 15 व्यक्तियों की मौत हुई है।

श्री जय सिंह राणा: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि करनाल जिले में जो 56 गांव बाढ़ग्रस्त पाए गए, वे कौन-कौन से गांव हैं? इसके अलावा, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जो 56 गांव बाढ़ग्रस्त पाए गए, उन गांवों के लोगों को बाढ़ के दौरान क्या सहायता दी गई और अब सरकार क्या राहत कार्य करने जा रही है?

श्री सुरज भान: स्पीकर साहब, उन सभी 56 गांवों की लिस्ट मेरे पास है लेकिन इस को पढ़ने में काफी देर लग जाएगी।

यह लिस्ट यदि ये चाहें तो इन्हें दी जा सकती हैं। बहरहाल मैं यह जरूर बताना चाहूंगा कि 28 गांवों की फसले खरबा हुई हैं। सभी 56 गांवों की फसलें खराब नहीं हुई हैं। अगर माननीय सदस्य चाहे तो मैं इन 28 गांवों की लिस्ट पढ़ कर सुना देता हूँ लेकिन इसमें काफी समय लगेगा। इसलिए अगर माननीय सदस्य चाहे तो मैं इनको लिस्ट सप्लाइ कर दूंगा। जहां तक बाढग्रस्त गांवों के लोगों को सहायता देने का ताल्लुक है, मैं इनको बताना चाहूंगा कि लोगो को रहने के लिए सहायता देने का ताल्लुक है, मैं इनको बताना चाहूंगा कि लोगों को रहने के लिए कहीं कहीं पर सिरकियां दी गई, आटा भी दिया गया ओर दवाईया भी दी गई। इसके अलावा और भी काफी चीजों का प्रबंध किया गया और दवाईयों भी दी गई। इसके अलावा, और काफी चीजों का प्रबंध किया गया था। जिन गांवों में अभी भी पानी खड़ा है और धान और जीरी की फसलें खराब हो गई, उन खेतों में तोरिये की अगली फसल के लिए बीज और खाद सबसिडाइज्ड रेट पर देने का विचार है। इसके अलावा, और तरह की उन गांवों के किसानों को मदद दी जा सकती है।

श्री रणजीत सिंह: स्पीकर साहब, यहां र बताया गया है कि फलड् आने की वजह से अधिक नुकसान हमारे यहां पर हुआ है। ऐसा नुकसान पहले कभी हमारे प्रदे 1 का नहीं हुआ था क्योंकि अब यू0 पी0 की सरकार ने यमुना नदी पर चैक या ठोकरें अधिक बना दी है जिससे यह नुकसान हुआ है। इसी वजह से

यमुना का पानी पलबल के एरिया में ओर हरियाणा के दूसरे एरिया में अधिक आ गया है। क्या इसकी जानकारी सरकार के नोटिस में है दूसरे, क्या भविष्य में इस प्रकार के पानी को राकेन के लिए कोई कदम उठाये जा रहे है ताकि आईन्दा ऐसा नुकसान हमारा न हो पाए?

श्री सूरज भान: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि ठोकरे बगैरा उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा अधिक बनाये जोन से यह नुकसान हुआ है। सैन्ट्रल सरकार ने कुछ नौमेज तय किए हुए हैं कि कटाव को रोकने के लिए इतने फासले पर ठोकरे बनाई जानी चाहिए और इतनी ऊंचाई और इतनी ऊंचाई तक बनाई जानी चाहिए। हमारी जानकारी के मुताबिक यू०पी० सरकार ने नौर्मज से अधिक ही ठोकरे बनाई हुई हैं जिससे हरियाणा का नुकसान हुआ है। यह सप्लीमैटरी वैसे तो इस सवाल से संबंधित नहीं हैं लेकिन फिर भी मैं बता दू कि हमारी कोर्ि । । होगी कि भविष्य में नुकसान कम हो। अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब सिंचाई मंत्री जी डिटेल में दे सकते हैं।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, जमुना रिवर के एक तरफ हम हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के महकमा ड्रेनेज ने यमुना के किनारे पिछले 9-10 सालों में बहुत मजबूत किए हैं। उन्होंने अपने एरिया में स्टैंड्ज और स्परज बहुत अधिक बनाए हैं। 1977 में पहली बार हमारी सरकार बनी थी तो उस समय ये स्परज और

स्टेड्ज बनाने का काम भुरु किया गया था। 1978 से 1980 तक यह काम चला। लेकिन उसके बाद ठप्प हो गया। परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार लगातार यह काम करती रही जिसकी वजह से उन्होंने अपने स्टेड्ज और स्परज बहुत मजबूत बना दिए। स्पीकर साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक यमुना कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी ने यह डायरेक्टिवान दी है कि करनाल से दिल्ली तक यमुना के किनारों पर स्टेड्ज तो बनाये जा सकते हैं लेकिन स्परज काफी लम्बे-चौड़े बनाये जा सकते हैं। यमुना कमेटी की डायरेक्टिवान है कि यमुना के किनारों पर स्पर नहीं बनने चाहिए लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने ये स्परज बनाये हैं जिसकी वजह से यमुना का वाटर कोर्स चेन्ज हो गया है। मैं सदस्यों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि इस मामले पर सरकार बहुत चिन्तित है और हम कोशिश करेंगे कि इस समस्या का कोई न कोई हल निकाला जा सके।

श्री महा सिंह: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या यमुना नदी के साथ लगते हुए एरिया की जमीन कटी है, यदि कटी है तो वह एरिया कितना है? दूसरे, क्या उस कट का मुआवजा दिया जायेगा? तीसरे इस कट से जो फसल तबाह हुई है, वह कितनी है और क्या तबाह हुई फसल का भी मुआवजा दिया जायेगा?

श्री सुरज भान: आप इसके लिए अलग से नोटिस दें।

श्री टेक चन्द: मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हरियाणा में कितना रकबा बाढ़ की वजह से बरबाद हुआ है? क्या बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी के लिए स्पै ाल गिरदावरी के आदे ा दिए गए हैं? दूसरे, जिन किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा कब तक मिल जाएगा?

श्री सूरज भान: स्पै ाल गिरदावरी के आदे ा पहले ही दे दिये हैं। कितना नुकसान हुआ है यह तो गिरदावरी होन के बाद ही पता चल पाएगा। अभी तक मुआवजा देने को कोई प्रोवीजर नहीं है, वैसे तारे हम लोगों की मदद अव य कर रहे हैं। 3करोड़ 5 लाख 75 हजार रूपये हरियाणा में इस परपज के लिए दिए हैं। मिसाल के तौर पर डिस्ट्रिक्ट अम्बाला को 5 लाख , जिला कुरुक्षेत्र को 9 लाख, जिला हिसार को 12लाख, जिला सिरसा को 13 लाख रूपये और इसी प्रकार मुख्तालिक जिला में मुख्तलिफ मद, वहां पर हुए नुकसान को देखते हुए, दी गई हैं।

चौधरी सतवीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, अत्याधिक बारि ा के कारण बाढ़ से जो नुकसान हुआ है, उसके लिए कम्पनसे ान दिया जा रहा है। पानीपत थर्मल प्लांट की दीवार गिर जाने के कारण कालसा और सुताना दो गावों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इन दोनों गावों के लोगों को राहत देने के लिए कोई पग उठाए जा रहे हैं?

श्री सुरज भान: इन दोनो गावों को भी अन्य बाढ़ग्रस्त गांवों के साथ जोड़ लिया जाएगा।

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, बरसात ज्यादा होने की वजह से काफी फसले खराब हुई हैं। जिला सिरसा में रानियां के आस-पास लगभग 4-5 हजार एकड़ जमीन ऐसी हैं जहां पर 3-3 या 4-4 फी पानी खड़ा है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार किसानों को अगली फसल की बुवाई करवाने के लिए इस पानी को निकालने के लिए विचार कर रही हैं?

श्री सुरज भान: केवल सिरसा जिला ही नहीं, सारे हरियाणा में जिन क्षेत्रों में पानी खड़ा है, उसको डी-वाटर करने के लिए पम्प सैट वगैरा लगाए जा रहे हैं। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि किसान कम से कम तोरिये की फसल की बिजाई तो कर ही ले।

श्री रणजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हू कि या बाढ़ राहत कार्यों के लिए सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है या नहीं, यदि लिखा है तो क्या केन्द्र से कोई सहायता या ए योरैन्स प्राप्त हुई?

श्री सुरज भान: हमने केन्द्रीय सरकार को बाढ़ राहत कार्यों के लिये 20 करोड़ की तदर्थ सहायता प्रदान करने हेतु लिखा हुआ है। अभी तक तो काई सहायता प्राप्त नहीं हुई है लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि सहायता अवश्य ही प्राप्त होगी।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा राज्य के विभिन्न जिलों में बाढ़ आई हैं। जिला कुरुक्षेत्र बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नुकसान को देखते हुए जिला कुरुक्षेत्र को दूसरे जिलों के मुकाबले में सहायता कम दी गई है।

श्री अध्यक्ष: सब से कम सहायता तो जिला अम्बाला को मिली है।

श्री सूरज भान: बाढ़ राहत कार्यों के लिए जिला कुरुक्षेत्र को नौ लाख रुपये दिए गये हैं, जो कम नहीं हैं।

चौधरी किान सिंह सागवना: अध्यक्ष महोदय, यह सवाल वैसे तो करनाल जिला के बारे में है लेकिन मामला सारे हरियाणा से सम्बद्ध है। पिछले 3-4 दिनों से मूसलाधार वर्षा के कारण जिला सोनीपत और रोहतक के कई गावों में जबरदस्त बाढ़ आ गई है। क्या यह बात सरकार के नोटिस में है। यदि है तो सरकार इन जिलों को कोई सहायता देने बारे विचार कर रही है?

श्री सूरज भान: वर्षा तो आजकल लगभग सभी जगहों पर खूब हो रही है। ज्यों-ज्यों दिक्कतें हमारे नोटिस में आती रहेंगी, हम दूर करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे।

कामरेड हरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, जिन गावों में फ्लड आया है, वहां करोड़ों रुपये की फसलें बरबाद हो गई है। किसानों को धान की बुवाई में 900/ रुपये से 1000/ तक प्रति एकड़ खर्चा करना पड़ता है दूसरे गावों में इस समय चारे की

भारी समस्या हैं और तीसरे, वे खेतीहर मजदूर जिन्हें खेतों में काम मिलना था, उन्हें काम नहीं मिला। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि किसानों तथा खेतीहर मजदूरों को काम नहीं मिल रहा उनको राहत देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्री सूरज भान: इस बारे में स्पै ाल गिरदावरी करवाई जा रही हैं। गिरदावरी हो जाने के बाद नुकसान का जायजा लिया जा सकेगा। हम को ि ा ा करेंगे कि डिवैल्पमेंट और वैलफेयर के कुछ काम भुरू किये जाए जिससे खेतीहर मजदूरों को काम मिल सके।

श्री रणजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मंत्री महोदय ने बताया हैं कि स्पै ाल गिरदावरी की जा रही हैं लेकिन लोगों को स्पै ाल मुआवजा देने को कोई प्रावधान नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यदि मुआवजा दिया ही नहीं जाना है तो फिर गिरदावरी क्यों करवा रहे हैं?

श्री सूरज भान: हम स्पै ाल गिरदावरी इसलिए करवा रहे हैं ताकि हमें नुकसान का पता चल सके। नुकसान का पता चलने पर ही उसके अनुसार सहायता दी जाएगी।

Market Committee, Kharkhauda

***635. Shri Mohinder:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) whether there is nayu proposal under consideration of the Govrnment to open a sep[arate Market Committte at Kharkhauda in District Sonipat; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Market Committee is likely ot be opened?

कृशि मंत्री (श्री तैयब हुसैन):

(क) नहीं जी।

(ख) प्र न उत्पन्न नहीं होता।

श्री मोहिन्द्र: स्पीकर साहब, मेरे सवाल के जवाब में मंत्री महोदय जी ने कहा हैं। स्पीकर साहब खरखौदा सब-मार्किट कमेटी हैं और यह सोनीपत मार्किट कमेटी के अन्डर आती हैं। वहां पर लाखों रूपया खर्चा हुआ हैं इसलिए मैं आपके जरिए मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सैपरेट मार्किट कमेटी बनाने के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया हैं ताकि हम उसे अनुसार प्रोपोजल बना कर सरकार को भेजें?

श्री तैयब हुसैन: स्पीकर सर, खरखौदा सब-यार्ड में तकरीबन हमने सारी फैसेलिटीज दी हुई हैं। 16 फैसेलिटीज होती हैं, वे सारी दी हुई हैं। यह सब यार्ड सोनपत मार्किट के अटैचड हैं। खरखौदा की आमदनी कम है इसलिए उसे अलग कर दे तो खर्चा बढ़ जायेगा। अग माननीय सदस्य उस घाटे की कोई व्यवस्था बता दे तो सोच लेंगे।

श्री जगन्नाथ: स्पीकर साहब, कई मार्किट कमेटियों में दूसरे जिले के गावों भी होते हैं, जैसे हांसी मार्किट कमेटी में सिवानी वाले इलाके के गावों भी शामिल हैं। हांसी हिसार जिले की मार्किट कमेटी के गांव को पैसा नहीं देते जिसके कारण उन गांवों को दिक्कत पेश होती है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के विचारधीन हैं कि जिस जिले के गांव हैं, उसी जिले की मार्किट कमेटी के साथ लगाये जायें?

श्री तैयब हुसैन: इसके लिए सैपरेट नोटिस दे दे, पता करके बता देंगे।

House Rent Allowance

***622. Shri Harnam Singh:** Will the Deputy Chief-Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to enhance the limit of House Rent Allowance admissible to avarious categorties of the Haryana Government employees;and

(b) if so, the time by which the decision is likely to be taken?

उप मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता):

(क) इस समय मकान किराया भत्ते की सीमा को बढ़ाने से संबधित कोई मामला सरकार के विचारधीन नहीं हैं।

(ख) जैसा कि ऊपर भाग (क) में दिया गया है।

श्री हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत उप मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि चण्डीगढ़ पंजाब और हरियाणा में हाउस रेंट कितना—कितना है और क्या उसमें अन्तर भी है? अगर फर्क है तो सरकार उसे खत्म करने के लिए विचार क्यों नहीं करती?

श्री बनारसी दास गुप्ता: चण्डीगढ़ और पंजाब का मुझे पता नहीं। अगर डाक्टर हरनाम सिंह जी हरियाणा का पूछना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, अभी उप मुख्य मंत्री महोदय ने फरमाया है कि मकान किराया भत्ते की सीमा को बढ़ाने से सम्बन्धित कोई मामला सरकार के विचारधीन नहीं है। मैं आपके द्वारा उप मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि सरकारी कर्मचारी की हाउस रेंट के अलावा कोई और भी मांग है?

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, सवाल किराये भत्ते के बारे में इसलिए और बातों का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत उप मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि हरियाणा अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को चण्डीगढ़ में जो मकान किराया भत्ता दे रही है, क्या उस दर से सिर ढकने को यहां पर किराए

पर जगह मिल सकती हैं? अगर नहीं मिल सकती तो फिर इसको बढ़ाने पर सरकार विचार क्यों नहीं करती?

श्री बनारसी दास गुप्ता: यह बात ठीक है कि चण्डीगढ़ में मकानों के किराये बहुत हैं और जितना किराया भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाता है उसमें मकान नहीं मिल सकता। हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को सरकारी आवास उपलब्ध कराये जायें लेकिन फण्डज की कमी होने की वजह से यह सुविधा नहीं दे पाते हैं।

Construction of New Canal Rest House at Sardhana

***618. Shri Ved Singh Malik:** Will the Minister for Irrigation Power be pleased to state-

(a) whether the Government is aware of the fact that the existing building of the Canal Rest House at Village Sardhana of Tehsil Gannaur in district Sonapat is in a dilapidated condition; and

(b) if so, time by which a new building for the said Rest House is likely to be constructed?

सिचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) हा जी, इस विश्राम गृह की हालत सन्तोशजनक नहीं है।

(ख) फिलहाल नया भवन बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री वेद सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि जब आदमी इस विश्राम ग्रह में दब कर मर जायेंगे, क्या तब सरकार विश्राम गृह बनाने के लिये विचार करेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, मैं वेद सिंह मलिक जी से यह कहूँगा कि वे उधर जाते ही क्यों हैं? (हंसी)

Arrangements to Save Villages in Faridabad From Floods

***558. Shri Udai Bhan:** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether it is a fact the villages adjacent to Yamuna River in District Faridabad are frequently flooded by the said River; if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken to save these villages from the damages caused by such floods in future?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh): Yes. For the protection of villages situated along river Yamuna, several protection works have been provided.

श्री उदय भान: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि फरीदाबाद जिले में कितने स्थानों पर यमुना का कटाव हो रहा है या कटाव होने का खतरा है और उसको बचाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, फरीदाबाद जिले में जो गांव यमुना के किनारे पर आबाद है, जब भी एक लाख क्यूबिक से अधिक पानी यमुना में आ जाता है, ये गांव अफैक्टिव हो जाते हैं। ये हमें गा से ही होते रहे हैं। लेकिन 1977 से 1979 तक इन गावों के चारों तरफ चौधरी देवी लाल की सरकार ने रिंग बांध बनवाये थे। अब आबादी में पानी कहीं नहीं जाता। लेकिन जो गांव बिल्कुल ही यमुना के किनारे पर हैं, उनके चारो तरफ पानी जरूर भर जाता है। श्री सूरज भान जी जब जवाब दे रहे थे तो मैंने भी तफसील में बताया था कि यू० पी० सरकार ने यू०पी० की साईड पर जो यमुना का तट है, उसको बहुत मजबुत कर दिया है। हम ऐगजामिन कर रहे हैं कि उस कोर्स को रोकने के लिये हम क्या स्टैप्स लें?

श्री योगे 1 चन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब, मैं आदरणीय मंत्री जी से कुछ जानना चाहता हूं। पिछले दिनों में आदरणीय मंत्री श्री पूनिया साहब को अपने खदर के इलाके में जो कम्पलीटली हरियाणा से कटा हुआ है, ले गया था। उन दिनों अखबारों में भी इनकी जान को हुए खतरे के बारे में छपा था। उस इलाके के लिये वहां पर हेलीकॉप्टर से असैरियल चीजें सप्लाई करने के लिये सरकार ने कुछ सोचा था क्योंकि वहां र मोटर बोट्स के अलावा सप्लाई को कोई दूसरा साधन नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री और डी० सी ० जो वहा पर दौरा करने के

लिये गये थे, की रिपोर्ट पर अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, पूनिया जी ही इस बारेक में बता देंगे क्योंकि इनकी जान को ही खतरा हुआ था।

उद्योग मंत्री (डा० किरपा राम पूनिया): स्पीकर साहब, यह बात दुरुस्त है कि 13-14 गांव खादर के ऐसे हैं जो जहर लाला और यमुना रिवार के लिक कार्स के बीच में स्थित हैं। वह सारे कट-आफ हैं। जिस दिन मैं वहा परगया था, उस दिन ये सारे गांव ही कटे पड़े थे। हमने उस दिन कोिा की कि सारे गावों में पहुंच सके। उसके बाद हमने डी० सी० को यह हिदायत दी कि वहां पर लोगों की सहायता के लिये किाियां वगैरा भेज और राान सप्लाई किया जाये। आटा, तेल, नमक, चीनी आदि सारी की सारी चीजे भेजने का प्रबन्ध किया जा रहा है। उसके बाद हमने मिलिटरी के तकरीबन 8 मोटर बोट्स लेकर उन सब गांवो मे राान पहुंचा दिया है।

Mr. Speaker: Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये ताराकित प्र नों
के लिखित उत्तर

Supply of Sub-standard Sprinkler Sets to Farmers

***569. Shri Hira Nand Arya:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether any complaint/representation regarding the supply of sub standard Sprinkler Sets to the farmers in the State has been received by the Government during the period from 1st January, 1998 to date; if so, the action, if any, taken or proposed to be taken thereon?

कृषि मंत्री (तैयब हुसैन): जी हां। इस समय के दौरान इस विषय पर दो पत्र प्राप्त हुए हैं। पहला पत्र भ्रष्टाचार विरोधी बोर्ड को भेज दिया गया है जिसके निश्कर्ष प्रतीक्षित हैं तथा आगामी कार्यवाही इसके निश्कर्ष की रीति में की जाएगी। 10-8-1988 को प्राप्त हुए दूसरे पत्र में दिए सुझावों तथा टिप्पणियों का निरीक्षण किया जा रहा है। तथा उपयुक्त कार्यवाही कर ली जाएगी।

Loan to Farmers

***573. Shri Vasu Dev Sharma:** Will the Minister of State for Cooperation be pleased to state-

(a) whether the Government is aware of the fact that the farmers are facing great hardship in getting the loans sanctioned from Land Development Banks in the State;

(b) if so, the steps, if any taken or proposed to be taken by the Government to remove the said hardship;

(c) whether there is any taken proposal under consideration of the Government to make payment of the loan

sanctioned by the raid Bannksa direct to the farmers instead of to the dealers concerned?

सहकारिता राज्य मंत्री (डा० रघुबीर सिंह):

(क) कृ ाकों को प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंको से ऋण लेने में कोई असुविधा नहीं हो रही है ।

(ख) उपरोक्त "क" को देखते हुए, प्र न पैदा नहीं होता ।

(ग) नहीं ।

Construction of Patwar Offices

***565. Shri Kailash Chand Sharma:** Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) whether any working hous for the patwaries to work in their offices have been specified; if so, the timings so fixed;

(b) the districtwise number of places in the Stae where Patwar-Khanas have not so far been constracted; and

(c) the number of Patwar-Khanas out of these as referred to in part (b) above, likely to be constructed during the year 1988-89?

राजस्व मंत्री (श्री सूरज भान):

(क) जी हां, सभी उपायुक्तों को दिनांक 23-3-88 को हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि पटवारी कार्यालय समय के दौरान जो भी सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया गया हो, अपने दफ्तर में रहेगा लेकिन गिरदावरी महीनों को छोड़ कर।

(ख) तथा (ग) विवरण सदन के पटलन पर रखा जाता है।

विवरण

राज्य में पटवारखानों जिनकी आव यकता हैं, की संख्या उपलब्ध पटवारखानों की संख्या तथा जिन स्थानों पर पटवारखानों का निर्माण नहीं हुआ है, की संख्या सम्बन्धी विवरण

क्रम संख्या	जिला का नाम	जितने पटवारखानों की आव यकता हैं की कुल संख्या	उपलब्ध पटवारखानों की संख्या	जिन स्थानों पर पटवार खानों का निर्माण नहीं हुआ की	वर्ष 1988-89 के दौरान बनाए जाने वाले जिलावार पटवारखानों की संख्या

				संख्या	
1	2	2	4	5	6
1	अम्बाला	237	38	199	10
2	कुरुक्षेत्र	267	14	171	11
3	करनाल	264	93	137	5
4	सोनीपत	161	24	237	11
5	रोहतक	285	48	427	14
6	हिसार	489	62	268	17
7	सिरसा	328	60	306	3
8	भिवानी	337	31	201	3
9	जीन्द	246	45	147	17
10	गुडगावां	169	22	174	11
11	महेन्द्रगढ़	209	35	115	6
12	फरीदाबाद	144	29		5
	कुल जोड़े	3136	501	2635	113

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, पींग अखबार ने हमारे उप मुख्य मंत्री के ऊपर करण्डान के आरोप लगाए हैं। मैंने इस बारे में एक प्रिविलेज मोशन दिया है। यह मामला बहुत गम्भीर है इसे विदेशी अधिकार समिति को सौंपा जाए और सम्पादक के खिलाफ लिया जाए।

Mr. Speaker: I am considering it. Please sit down.

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, कल मैंने आपकी सेवा में अन-औथोराइज्ड कालोनीज के बारे में एक ध्यानकर्षण प्रस्ताव दिया था और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि हम सब को बेनकाब करेंगे। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि वे बेनकाब करेंगे। मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ कि उस ध्यानकर्षण प्रस्ताव का क्या हुआ?

Mr. Speaker: I have received the reply of the Government just now. I am considering it.

श्री मंगल सैन: मैंने व्यापारियों के बारे में आज सवेरे ही एक काल अटैन्शन मोशन दी थी। सरकार ने कच्छों पर, बतिनयानों पर और कम्बलों पर टैक्स बढ़ा दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी काल अटैन्शन मोशन क्या हुआ?

Mr. Speaker: It has been received in the offices and is being examined.

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, मैंने दो काल अटैन्शन मोमेंट्स आज दिए हैं। एक तो जमुना में ज्यादा पानी आने के कारण हरियाणा प्रदेश की जिन कट गई हैं और दूसरा काल अटैन्शन फ्लड के बारे में है। मैं जानता चाहता हूँ कि उनका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष: जमुना के बारे में आपका काल अटैन्शन मोमेंट्स गवर्नमेंट को भेज दिया है। दूसरे के बारे में जवाब आ रहा है।

श्री रतन लाल कटारिया: मेरा नाम भी उसमें जोड़ दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: आपका नाम उसमें नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि वह गवर्नमेंट को भेज दिया है। उसमें पांच एम0 एल0 एज0 के नाम हैं। पांचों को सप्लीमेंटरीज करने की अपरच्युनिटी दूंगा।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में गरीब आदमियों की झुग्गी झोंपड़ियों को उजाड़ दिया गया। इस बारे में मैंने काल अटैन्शन मोमेंट्स दिया था। उसका क्या हुआ ?

Mr. Speaker: It is under consideration.

चौधरी महेन्द्र प्रताप: क्या तीन चार दिन में उसका फ़ैसला हो जाएगा?

श्री अध्यक्ष: हो जाएगा।

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय मुख्य मंत्री जी के टेलीफोन टेप होते हैं। यह आरोप इस सदन में 32 सम्मानीय सदस्यों ने भी सर्वाजनिक रूप से लगाया है। इस बारे में मैंने एक काल अटैन्शन मोशन दी थी। उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष: कमेंट्स के लिए गवर्नमेंट को भेज दी है।

श्री रघु यादव: दूसरा ध्यानकर्षण प्रस्ताव, रिबाड़ी उप-मण्डल में 82-82 साल के बुजुर्गों का नाम पेंशन लेने वालों की लिस्ट में से काटे जाने के बारे में है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसका क्या हुआ?

Mr. Speaker: That is under consideration.

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मैंने एक विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव दिया था। भिवानी के राजेन्द्र चौधीरी ने मुझे टेलीफोन पर धमकी दी है कि या तो सदन में बोलने से चुप हो जाओ वरना तुमको बाहर चुप करा दिया जाएगा। उसने यह भी कहा कि सीता राम जिन्दल की जेब में चूँकि मुख्य मंत्री हैं इसलिए जिन्दल का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसने कहा है कि विधान सभा को हम कुछ नहीं समझते। उसने मुझे बड़ी भद्दी

गाली भी दी हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि उस प्रिविलेज को उन
का क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष: मैं आपकी बात समझ गया हूँ। That is
under consideration.

Shri Mangal Sein: Mr. Speaker, It is a very serious
matter if a Capitalist threatens. and hon. Member of the
House. अध्यक्ष महोदय, किसी का यह कहना कि "मुख्य मंत्री मेरी
जेब में हैं बहुत खराब बात हैं। इस बारे में सख्त ऐव उन होना
चाहिए।

Mr. Speaker: That is why I have said that it is
being considered seriously.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

हरियाणा में वर्षा तथा बाढ़ से फसल तथा सम्पत्ति को
हुई सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: आनरेबल, मैबर्ज, मुझे श्री हीरा नन्द आर्य
की आरे से कालिंग अटैन् उन को उन न० 2 और श्री हरनाम सिंह
की ओर से कालिंग अटैन् उन को उन न० 4 (ध्यानाकर्षण संख्या
2 के साथ व्रैकेटिड) regarding damage to crops and property in
Haryana by rains and floods मिले हैं। I admit it. श्री हीरा नन्द
आर्य अपना मो उन पढ़ दें और उसके बाद यदि सम्बन्धित मंत्री
स्टेटमेंट देना चाहें तो दें दे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सं० 2

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हाल ही की वर्षा तथा बाढ़ के परिणामस्वरूप जिला सिरसा, हिसार, कुरुक्षेत्र, फीदाबाद आदि के अनेक गांवों में फसलों और मकानों को क्षति हुई है। विभिन्न स्थानों पर जल व धन की क्षति होने से प्रभावित लोगों के लिए जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया है। कुछ गांव पीलिया तथा मलेरिया आदि बीमारियों से प्रभावित हुए हैं। इसलिए, सरकार को चाहिए कि प्रभावित लोगों को मुआवजा दे तथा राहत कार्य प्रारम्भ करके अन्य सहायता दे। मेरा यह निवेदन है कि संविधित मंत्री इस संबंध में कार्यवाही करने के बाद चालू सत्र के दौरान सदन को सूचित करें। इसके साथ-साथ, मेरा मंत्री महोदय से यह भी निवेदन है कि वे सड़ सदन में बताएं कि वे इस विषय में क्या कार्यवाही कर रहे हैं और लोगों को क्या राहत दे रहे हैं ताकि लोगों का जीवन ठीक प्रकार से गुजर सके।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सं० 4

ध्यानाकर्षण 2 के साथ ब्रैकेटिड

श्री हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जुलाई-अगस्त, 1988 में हुई भारी वर्षा तथा नदियों में

आई बाढ़ से हरियाणा में लाखों एकड़ फसलों, हजारों मकानों तथा सम्पत्ति की हानि हुई है। बाढ़ के बहाव से जमीन का कटाव हुआ है। नहरों, सड़को तथा बाढ़ नियन्त्रण के उपाय भी प्रभावित हुए हैं। हजारों नलकूपों के खड्डे तथा मकान गिर गए हैं ता ईजन व मोटरे उनमें दब गई हैं बाढघ उपाय पूरी तरह असफल हो गए हैं। बाढ़ नियन्ण उपायों की कार्यकु ालता तथा खेती की बहाल तथा लोगों के स्वास्थ्य के लिए तुरंत सहायता देने पर पुनः विचार करने की अत्यन्त आव यकता है। यदि आव यक कार्यवाही तुरंत न की गई तो इससे हरियाणा की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि सरकार इस संबंध में सदन में एक वक्तव्य दे।

राजस्व मंत्री (श्री सूरज भान): स्पीकर साहब, मैं कल इनका जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक हैं।

वर्ष 1983-84 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्ष: अब वर्ष 1983-84 की ऐक्सैस डिमांडज ओवर ग्रान्टस ऐप्राप्रिऐ ांज पर डिसक ान होगी। हाउस का टाइम सेव करने के लिये आर्डर पेपर पर रखी गयी All the demands for the yuear 1983&84 Will be deemed to have been read and moved. आनरेबल मैम्बर्ज किसी भी डिमांड पर

डिसकान कर सकते हैं लेकिन डिसकान स्टार्ट करने से पहले वे उस डिमांड का नम्बर बता दें जिसको वह डिसकस करना चाहते हैं। डिसकान के बाद डिमांडज वोटिंग के लिए फुट की जायेगी।

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 393012** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly of the year 1983-84 in respect of **2-General Administration.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 4231271** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly of the year 1983-84 in respect of **4-Revenue.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs.24824736** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly of the year 1983-84 in respect of **6-Finance.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 14004882** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly of the year 1983-84 in respect of **10-Medical**

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 411000** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1983-84 in respect of **13-Social Welfare & rehabilitation.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs.220493** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1983-84 in respect of **14-Food and Supplies.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 153314203** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1983-84 in respect of **15-Irrigation.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs.2872280** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1983-84 in respect of **17-Agriculture.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 1341740** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1983-84 in respect of **18-Animal.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs.7806716** be made to regularise the charges already incurred in excess of

the grant voted by the Legislati Assembly ofr the year 1983-84 in respect of **21-Community Development.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs.10149912** be made to regularise the charges already incurred in ecesss of the grant voted by the Legislati Assembly ofr the year 1983-84 in respect of **23-Transport.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 669**be made to regularise the charges already incurred in ecesss of the grant voted by the Legislati Assembly ofr the year 1983-84 in respect of **24-Toursim.**

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ऐक्सैस डिमांडज के बारे में बोलने का समय दिया।

श्री अध्यक्ष: डा0 साहब, जरा ध्यान रखें कि ये वर्ष 1983-84 की ऐक्सैस डिमांडज हैं।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, गाईड करने के लिए बहुत धन्यवाद वित्त मंत्री महोदय यहां पर बैठे हैं। ये मेरे बड़े आदरणीय मित्र हैं क्योंकि वे जिन गलियों में रहे हैं, मैं भी उन गलियों में घुमा हूँ। अब ये आदरणीय उप मुख्य मंत्री हैं। कभी

इन्हें मास्टर जी के नाम से लोग पुकारते थे और अब भी पुकारते हैं।

उप-मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): डा० साहब, आप किसी नाम से पुकारिये मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं आप भी मास्टर कहलवाने में गर्व महसूस करता हूँ।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, सब से पहले डिमांड आपकी विधान सभा से सम्बन्धित हैं उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि जब से मैं विधान सभा में चुनकर आता रहा कि विधान सभा के किसी भी मसले पर यहां हूँ तब से ही यह चलता आ रहा है कि विधान सभा के किसी भी मसले पर यहां हाउस में चर्चा नहीं हो कती। केवल इस सम्बन्ध में एक ही वाक्य कहूंगा कि यहां * * * * * । इससे ज्यादा न कहते हुए अपनी बात आगे बढ़ता हूँ।

श्री अध्यक्ष: ये भाब्द रिकार्ड न किये जायें।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, यू ही गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या लाभ? वही पुरान किस्से पुरानी यादें ताजा करने का क्या फायदा? कहते हैं कि मुख्य मंत्री महोदय बाहर इलाज के लिये गये, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बाहर ईलाज के लिये गये, इसलिये इतना खर्चा उन पर हो गया। पास्ट में जो खर्चा हो चुका है उसको हमसे पास करवाना चाहते हैं। वह तो हमें पुरानी परम्पराओं के मुताबिक पास करना ही पड़ेगा। लेकिन हमें भूत

भविष्य और वर्तमान सीभी की और देखना होगा। पास्ट में जो खर्च हो गया, सो हो गया, अब आगे के लिये पैसा खर्च करते समय ध्यान रखना होगा।

स्पीकर साहब, मैं आपको वर्तमान की एक बात बतलाना चाहता हूँ। मैं पिछले दिनों फरीदाबाद में गया। वहाँ का बुरा हाल है कुन्दन लाल भाटिया जी के घर के पास गन्दगी के ढेर थे। मैंने इस तरह की हालत देखकर उसी वक्त डी० सी० महोदय से टेलीफोन मिलाया कि यहाँ पर सफाई नहीं हो रही है। गन्दगी के ढेर ही ढेर लग रहे हैं। डी० सी० महोदय आगे से जवाब देते हैं कि मेरे पास सफाई का महकमा नहीं है। मैंने कहा कि हमने सिविकस में यह पढ़ा है कि डी० सी० ही सारे जिले का हर लिहाज से माकलक होता है, इंचार्ज होता है। यह सारा काम डी० सी० का ही होता है कि वह देख ले कि नगर में सब ठीक प्रकार से चल रहा है, सफाई वगैरह का अच्छा प्रबन्ध है कि नहीं। डी० सी० साहब ने कहा कि यहाँ के लोकल बौडीज के जो चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर हैं। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। बस दिन काट रहा हूँ। मैं गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा कि इस मामले की और सीरियसली ध्यान दे और इसको टेक अप करें ताकि उस नगर की हालत को सुधारा जाए। कुछ पैसे का सदुपयोग उस नगर पर कर दें तो बेहतर रहेगा। स्पीकर साहब, क्या यह कोई तरीका है सरकार चलाने का? कैसे आदमी को वहाँ पर यूँ ही बैठा रखा है जो नगर की सफाई की और लोगों के स्वास्थ्य, लोगों के सुख

दुख की ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है? ऐसे आदमी को वहां से उखाड़ा जाना चाहिये।

श्री बनारसी दास गुप्ता: डाक्टर साहब, यह खर्चा तो 1983-84 का है आप कहां से कहां पहुंच गये?

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब ने मुझे गाइड किया था कि यह 1983-84 का खर्चा है और मैंने उनका आभार प्रकट किया था। गुप्ता जी लगता है उस समय आप हाईकोर्ट की पैटी इन में होंगे या भिवानी कोर्ट में होंगे। कृपया आप मेरी बात पर ध्यान कीजिए। (विघ्न)

श्री बनारसी दास गुप्ता: डा० साहब पता नहीं किसी ने कहां पहुंचना है (विघ्न)

श्री मंगल सैन: सब ने एक जगह पहुंचना है, निगम बोध घाट पर ही जाना है। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि उस समय का खर्चा हमारे से रेक्ट्रिफाई करवाया जा रहा है संविधान में प्रावधान है कि अगर ऐक्सिस खर्चा हो जाए तो उसे असैम्बली में लाना पड़ता है। डैमोक्रेसी में गवर्नमेंट वाई डैलीब्रे इन रन करती है और यहां पर खर्चा होनी स्वाभाविक है, अतीत की भी और वर्तमान की भी। तो मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ कि इन्होंने उस समय का हुआ ज्यादा खर्चा मांगा है। ठीक है उसमें क्या किया जा सकता है? मैं मंत्री जी का ध्यान आपके द्वारा आकर्षित करना चाहता हूँ कि इन्होंने बड़ी कृपा की।

1983-84 में ही एक बड़ी बिल्डिंग बना दी। गुप्ता जी और बिल्डिंग तो बाद में बनाए लेकिन पहले रोहतक का पुलिस स्टेशन जरूर बनाव दें। आप कहेंगे कि पुलिस स्टेशन से आपका क्या संबंध है? तो स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि एक डिप्लोमिंग कन्ट्री में डिप्लोममेंट के काम होने चाहिए। चाहे वह सड़को का काम हो, सिंचाई का हो या शिक्षा के लिए भवन बनाने का काम हो। लाएड आर्डर को मजबूत रखने के लिए लाएड आर्डर मेंटन करने वाली एजेंसी भी ठीक ढंग से रहे। मेरा यही सुझाव है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ कि पशुपालन का महकमा था जो अब भी है। मेरे लायक बुजुर्ग दोस्त बैठे हैं। इनके महकमे ने 1983-84 में 9 करोड़ 48 लाख 40 हजार रूपए मंजूर करवाए और उसके बाद भायद एक बार सप्लीमेंटरी के जरिए भी पैसे लिए। मैं चाहता हूँ कि इस महकमे की कोई जुड़ियायल इन्कवायरी होनी चाहिए। उस समय के जो मंत्री महोदय थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वे हाउस में मौजूद नहीं हैं। इस महकमे की थोड़ी प्रोब होनी चाहिए। आदरणीय मुख्य मंत्री जी इस समय बैठे नहीं हैं, उप मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, यह महकमा वाकई स्क्रूटेनाइज करने के काबिल है। यहां पर क्या कुछ होता रहा है, बड़ी भाका है। एंटी पोल्यूशन बोर्ड के चैयरमैन मेरेक लायक दोस्त श्री जगपाल सिंह चौधरी जी यहां बैठे हैं वे मेरी बात ताइद करेंगे कि वे कैसे महानुभाव थे। स्पीकर साहब, मद संख्या 23 में देखें। इसमें 10149912 रूपये मांग जा रहे हैं। भाई रघु यादव यहां बैठे हैं, वे मेरी बात को

तस्दीक करेंगे कि उस समय के ट्रांसपोर्ट मंत्री कितने कलाकार मंत्री थे।

श्री अध्यक्ष: आप सैकंडर बनाते जाएं। (विघ्न)

श्री मंगल सैन: मुझे तो संतोश हैं कि डैमोक्रेसी में ऐसे होनहार नव युवक विधायक होने चाहिए।

स्पीकर साहब, मैं जानना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का 1983-84 का मामला 1988 में ही क्यों आया है इस बारे में गुप्ता जी बताएं? इस डिपार्टमेंट में वही कर्मचारी है, वही अधिकारी है। गुप्ता जी यह तो हो सकता है कि बदल भी जाएंगे और दूसरे आ जाएंगे लेकिन ये वहीं के वहीं हैं। स्पीकर साहब, उस समय उनको ख्याल आया कि उन्होंने बैरियर बना दिए और वहां पर स्टाफ लगा दिया। एक दिन मैं रिवाड़ी से बस से आ रहा था तो एक बैरियर पर मैंने पूछा कि यह किस खुर्शी में फाटक बनाया हुआ है तो मुझे बताया गया कि यह कि यह ड्राइवर्ज और कंडक्टर्ज को चैक करने के लिये बनाया हुआ है। स्पीकर साहब ऐसा करके तो फालतू आदमी सर्विस में लगान वाली बात है। ऐसा करके यह सोचा गया कि अपने हल्के के आदमियों को राजी करें मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा अन-प्रोडक्टिव अनकाल्ड फार ऐक्सपेंडरचर हुआ है। इस बारे में ऐसा कोई प्रोवीजर बनाया जाए जिसके तहत जिन लोगों की कलमे से यह काम हुआ है, उनको कुछ दण्ड दिया जा सके क्योंकि यह उन्होंने

अनाप— अनाप खर्चा कर दिया और भुगतान हम लोगों को पड़ रहा है। इसी तरह से टूरिज्म डिपार्टमेंट में भी खर्चा किया गया है, खैर उसका पैसा तो थोड़ा ही है। यह जो ऐक्ससैस खर्च का सिस्टम है और बाद में सप्लीमेंट करने का सिस्टम है, यह होना स्वाभाविक है क्योंकि यह रियालाइज नहीं किया जा सकता। पिछले दिनों सूखा पड़ा था, अब बाढ़ आ गई ई वर के काम में किस का हाथ हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता। इसका रिलीफ तो देना ही पड़ता है। अगले साल का बजट आ जाएगा। उसके बाद कभी हेल्स्टोर्म आ गए कभी बाढ़ आ गई। हमारी सरकार की यह व्यवस्था है कि ओलावृष्टि से हुए नुकसान के लिए किसान की मदद की जाए। इन भावों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूँ।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, वित्त एवं उप—मुख्य मंत्री महोदय ने वर्ष 1983—84 के अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगे जो कुल 219771085 रूपये की हैं, हाउस के सामने पेश की हैं। इस पैसे को रैगुलेराइज करने के लिए हाउस से मंजूरी ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इनमें कुछ मांगे ऐसी भी हैं, जो कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाने के लिए पैसा दिया गया है। किसी को पैसा न देने की बात है, यह इसी प्रकार का खर्चा है। लेकिन कुछेक बातें ऐसी हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि उस समय के प्रशासन की जो दूर—दालिता होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई जिसके कारण यह ऐक्ससैस खर्चा हुआ है। अगर उस समय के प्रशासन का ऐस्टिम ठीक होता तो इस पैस का

इतने दिन तक पैडिंग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता और इस पैसे को इतने दिनों तक पैडिंग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता पैसा सदि रैगुलराइज हो जाता तो आज एक्सैस नहीं होता। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो हो गया, वह हो गया, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्री बनारसी दास गुप्ता जी बहुत काबिल मिनिस्टर हैं मैं समझता हू कि आयदा ये ऐसा नहीं होने देंगे। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं सामान्य प्रशासन की मांग के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा कि जोकि डिमांड नम्बर 2 हैं अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक अनुमान दूसरी किस्त 1983-84 के माध्यम से 8368459 रूपए की राशि मंत्रियों के आयकर की अदायगी और मुख्य मंत्री और खाद्य मंत्री की विदेश में चिकित्सा करवाने, के अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की अदायगी, वातानुकूलक ओ0 एल0 प्रभागों की अदायगी करने और नए पद बनाने, हरियाणा मण्डप का नवीकरण और विज्ञापन बिलो की अदायगी करने के संबंध में हुए खर्च को पूरा करने के लिए दी गयी है अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं अपनी सरकार से यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार जो जो खर्चा है इसको रोकने के लिये मुख्य रूप से ध्यान देना होगा। आगे के लिए यह ध्यान देना होगा कि हमारे स्टेट डिवैलपमेंटके काम रुक जाएं। आज के दिन बजट का 42 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों की पे और भत्ते आदि पर ही खर्चा हो रहा है। चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों को पैमानल का ली देना है, उसको मिला कर यह खर्चा 42 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा।

कहने का मतलब यह है कि टोटल बजट का आधा पैसा ऐडमिनिस्ट्रेशन पर ही खर्च हो जाएगा। इन हालातों में हम अपने प्रान्त की भलाई के लिए क्या कर पाएंगे? इतनी भारी बोझ प्रान्त की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ी रूकावट हो सकती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इतने भारी खर्च का कम करने के लिए कोई न कोई कदम उठाये जाने चाहिए ताकि हम अपने प्रान्त की कुछ तरक्की कर सकें। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि यू०पी० हरियाणा से 10-12 गुणा बढ़ा है। वहां पर आई० ए० एस० की 216 पोस्टें हैं, यदि मैं गलती पर नहीं हू तो इसके विपरीत छोटे हरियाणा में 214 पोस्टें आई० ए० एस० की है। इसमें साफ पता चलता है कि हमारा सारा पैसा तो ये उच्च अधिकारी ही खा जाएंगे। जब ये लोग ही आधा बजट खा जाएंगे तो फिर हम गरीब लोगों के लिए, मजदूरों के लिये और अपने किसानों के लिए क्या काम कर पाएंगे। स्पीकर साहब, इसी प्रकार दूसरी सर्विसिज का भी यही हाल है। इस बारे में मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार केन्द्र सरकार को कहे कि आने वाले कुछ सालों के लिए नई आई० पी० एस० की पोस्टें देखने के लिए एक ऐडमिनिस्ट्रटिव रिफार्म कमीशन नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि आल इण्डिया सर्विसिज की पोस्टों की लिमिट फिक्स करके यहां की पोस्टों को कम कर सकें। एक बात मैं और कहना चाहता हू कि टेक्नोक्रेट अपने विभाग में काम करने का 20-25 साल का अनुभव होता है। जब कोर्ट फाईल उनके यहां से सचिवालय में आती है तो क्लर्क से ऊपर जो असिस्टेंट होता है, वह इंजीनियर फाईल को वापस कर देता है।

मरे कहने का मतलब यह है कि वह आदमी अपने विभाग में ऐक्सपर्ट हैं लेकिन उसकी प्रोजेक्ट को यहां का असिस्टेंट टर्न डाउन करके फाईल को नीचे भेज देता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस सारे मामले को दुबारा से देखा जाना चाहिए और एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमीशन बनाया जाना चाहिए और इस कमीशन का कोई चेयरमैन बनाया जाये ताकि नए सिरे से प्रशासन का खर्चा घटाया जा सके और बचे हुए पैसों को प्रान्त की तरक्की के कामों के लिए यूज कर लिया जाये।

स्पीकर साहब, अब मैं मांग संख्या 13 पर चर्चा करना चाहूंगा। इस मांग के तहत 4 लाख 11 हजार रूपया मांगा गया है। जिस तरह से यह पैसा खर्च किया जाता है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इस पैसे से बिलो पावर्टी लाईन के लोगों को लोन व सबसिडी के रूप में सहायता दी जाती है और यह सहायता कई एजेंसियों के थ्रू देते हैं। ये एजेंसियां हैं ग्रामीण एजेंसी, हरिजन कल्याण निगम पिछडद्ये वर्ग कल्याण निगम और वीकर सैवियर निगम। इन एजेंसियों में जो लोग लोन सबसिडी के लिए एप्लाई करते हैं, उनमें चालाक किस्म के लोग ऐसे भी हैं जो एक ही आदमी इन चारों जगहों से सबसिडी और लोन ले जाते हैं। लेकिन जो जैनुअन व्यक्ति हैं वे वंचित रह जाते हैं। इस बारे में मैं यम सुझाव दूंगा कि डी0 आर0 डी0 के थ्रू वे चारों एजेंसियां एक एजेंसी निर्धारित कर ले जिसके थ्रू ये लोन और सबसिडी दी जाए और जैसे कि मैंने ऊपर कहा है, एक ही आदमी जो चारों

एजैन्सियों से लोन और सबसिडी ले लेता है, यह बन्द हो जाए। हमारी सरकार का सलोगन है “भ्रष्टाचार बन्द—बिजली पानी का प्रबन्ध”। तो इस भ्रष्टाचार को बन्द करने के लिए इन एजैन्सियों को एक ही जगह से रूटिड किया जाए ताकि जो दलाल टाईप के लोग इसमें इन्वाल्ब हैं, उन पर रोक लगाई जा सके।

श्री अध्यक्ष: आर्य साहब, अब आप वाईन्ड अप करिये।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मैं केवल दो मिनट का समय और लूंगा। स्पीकर साहब, अगली आइटम मांग संख्या 15 हैं जो सिचाई के विषय में हैं। इस मद में कुछ खर्च लिफ्ट इरिगे इन स्कीम के सिलसिले में दिखाया गया है और इसकी रैगुलेराईजे इन के लिए कहा गया है। मैं उप मुख्य मंत्री साहब का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाऊंगा कि नहरों में पानी जाये या न जाए लेकिन मिट्टी निकालने के लिए पिछले साल 62 लाख रूपये खर्च किया गया है जब कि मिट्टी एक आध जगह से ही निकाली गई है। बाकी जो खर्च दिखाया गया है वह केवल कागजी ही है और बोगस मामले हैं। ऐसे मामलो में भ्रष्टाचार पिछली सरकार के समय में भी होता था और जहां तक मैं समझता हूं वर्तमान सरकार में भी भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं हुई है। वास्तव में पानी के लिये केन्द्रीय सरकार से हमारा संघर्ष आज भी जारी है। एस0 वाई0 एल0 के पानी के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी। इस नहर के कम्पलीट होने से हरियाणा के रेतीले इलाकों को पानी मिल सकेगा।

श्री अध्यक्ष: आर्य साहब, आपका समय हो गया है अब आप बैठिए।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, बस मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ। मैं इस विषय में खासतौर पर जोर इसलिए दे रहा हूँ ताकि सरकार का खजाना जनता का खजाना सही रूप से इस्तेमाल हो। जो दोषी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए ताकि बोगस बिल न बन सकें।

मांग संख्या 23 ट्रांसपोर्ट के बारे में हैं। इस बारे में बौडी बिल्डिंग वर्क ग्राप गुडगांव में बनी वीडियो सैमी डीलैक्स बसों का जिक्र करना चाहूंगा। जब ये बसें सड़क पर चलती हैं तो यह इतनी ज्यादा खड़खड़ करती हैं कि वीडियो और खड़खड़ की आवाज में मुकाबला सा होता दिखाई देता है। बस के खड़के में वीडियो की आवाज तो सुनाई ही नहीं देती। इस बारे में जांच पड़ताल करवाई जाए कि बसों में घटिया मैटीरियल तो नहीं लगा है। इन बौडियो के लिए वर्क ग्राप में जो चादरें लगाई जाती हैं वे घटिया क्वालिटी की होती हैं और रिकार्ड में जो मैटीरियल दिखाया जाता है वह अच्छी किस्म का दिखाया जाता है। इस के इलावा भी बहुत सी और बातें हैं जिनकी जांच-पड़ताल किये जाने की जरूरत है। व्यवधान इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जो बातें हैं उनके बारे में विस्तृत जांच की जाए और दोशियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। इन भाब्डों के साथ

मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। इस समय उपाध्यक्ष पदासीन हुए।

(11:बजे)

श्री महासिंह (राई): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में सन् 1983-84 की ऐक्सैस डिमान्डज ओवर ग्रान्ट्स पर चर्चा हो रही है। मैं सब से पहले डिमान्ड नम्बर 10 के बारे में अपने विचार सदन के सम्मुख रखना चाहता हूँ। डिमान्ड नम्बर 10 मैडिकल एन्ड पब्लिक हैल्थ के बारे में है। इस डिमान्ड के लिए 14004882 रूपया मांगा गया है, जो बहुत थोड़ा है। मैडिकल और पब्लिक हैल्थ दोनो ही जरूरी विभाग हैं। देहातों के एरिया में बेचारे गरीब और मजदूर हैं कि वे दवाई कहीं से ले सकें। आजकल अबरसाम के मौसम में गांवों में मच्छर रात को जिस बेरहमी से काटते हैं वह ब्यान नहीं की जा सकती। बच्चे भी बिलबिलाते हैं और पंजु भी चैन से नहीं बैठ पाते। यह पैसा बहुत ही कम है। जितना धन इस आइटम पर खर्च कर सकें करना चाहिए। इसके साथ-साथ मेरी यह भी गुजारि है कि आयुर्वेदिक पद्धति सस्ती और सही है इसलिए इस पद्धति से लोगों का ज्यादा भला हो सकता है। कम पैस से ज्यादा लोग फायदा उठा सकते हैं। इसी प्रकार से मैं डिमान्ड इरीगेशन के विशय में है। इस डिमान्ड के लिए 153314203 रूपया मांगा गया है। इस बारे में मैं उप मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि हरियाणा के अन्दर दो महीने पहले भयंकर कहत पड़ा हुआ था और अब दो महीने से

बहुत ही भयंकर बाढ़ आने के कारण काफी नुकसान हुआ है। अगर सरकार इरीगे इन का प्लान ठीक बना ले तो हम बाढ़त्र और कहत से भी बच सकते हैं। बाढ़ के पानी को इकट्ठा करके इरीगे इन के लिए यूज करें तो हरियाणा को बहुत लाभ हो सकता है। अगर इस पानी का प्रबन्ध मुस्तिकल तौर पर हो जाये तो बाढ़ का पानी रूक सकता है और जो हमारी सूखी धरती प्यासी है उसकी प्यास भी बुझ सकती है। इसलिये मैं आपके जरिए निवेदन करना चाहूंगा कि इस पानी को रोकने के लिए रिजवीयर बनाये जाये और जो बाढ़ का पानी प्रलय करके निकल जाता है, उसे इरीगे इन के परपज के लिए चैनल बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बात हरियाणा सरकार के लिए जरूरी है।

अब मैं डिमान्ड नम्बर 17 के विशय में कहना चाहूंगा। यह डिमान्ड एंग्रीकल्चर के बारे में है। इसके लिए 2872280 रूपया खर्चा करना चाहिए था, चाहे किसी दूसरी मांग से धन डाइवर्ट करे खर्च करना पड़े। इस बारे में सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जमना रिवर के एरिये में काफी फरटाइल जमीन है लेकिन उस जमीन को जमीन के पानी ने बुरी तरह से काट दिया है। सारी बैलट की जमीन को काट दिया है और जो वहां पर ट्यूबवैल्ज लगे हुए थे वे भी जमना में चले गये हैं इसलिए इस बारे में सरकार को विशेष प्रबन्ध करना चाहिए।

डिमान्ड नम्बर 18 ऐनीमल हस्बैन्डरी के बारे में हैं। इस डिमान्ड के लिए 1341740 रूपया रखा गया है, यह बहुत कम है। ऐनीमल हस्बैन्डरी के बारे में सरकार से एक दरखास्त करना चाहता हूँ। हमारी सरकार को क्रौस ब्रीडिंग का प्रोग्राम अपनाना चाहिए। हरियाणा की मुरा भैसे बड़ी अच्छी नस्ल की हैं और हरियाणा की गाय भी बहुत ही महूर हैं। उनकी भी क्रौस ब्रीडिंग होनी चाहिए। हमारे हरियाणा का इतिहास है कि "दे गों में दे ग" हरियाणा जहां दूध दही का खाना" क्रौस ब्रीड के प्रोग्राम से दूध की बढ़ौतरी होगी और बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हमारे बच्चों की परवरिश भी अच्छी हो सकती है। बेरोजगार को रोजगार भी मिल सकता है। जितने हमारे बैटर्नरी हस्पताल हैं या ए0 आई0 सैन्टर्ज हैं, इनमें अगर फूल प्रूफ तरीका अख्तियार कर लें तो मिल्क आउट पुट बढ़ान में ये कारगर सिद्ध होगा। इन भाब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूँ।

श्री रघु यादव (रिवाड़ी) उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सदन के समक्ष अनुदान तथा विनियोजन वर्ष 1983-84 के मुताबिक जो मांगे की गयी हैं, उनकी चर्चा हो रही है। मैं भी उन पर चर्चा करते हुए माननीय उप मुख्य मंत्री एवं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान मांग क्रमांक 2-सामान्य प्रशासन की ओर दिलाना चाहूंगा। इसमें कहा गया है कि अनुमान से अधिक खर्चा हो हुआ है, वह मुख्य मंत्री और खाद्य एवं पूर्ति मंत्री की विवेक में चिकित्सा करवाने के वास्ते हुआ है। यहां अगर यह भी उल्लेखित

होता कि उस समय मुख्य मंत्री और खाद्य एवं पूर्ति मंत्री की यह जो चिकित्सा विदे 1 में हुई है, यह इस दे 1 में सम्भव नहीं थी तो ज्यादा अच्छा होता। क्या उसी परिस्थिति में विदे 1 में यह चिकित्सा हुई थी? इसी में आगे कहा गया है कि राजभवन में बिजली की तारों को बदलने और वातानुकूलों की तारें लगाने के लिये यह अतिरिक्त खर्चा हुआ है। इसी तरह यह भी कहा गया है कि राज्यपाल और अन्य अधिकारियों के अधिक दौरे, अति वि 1 श्ट व्यक्तियों यानी वी0 आई0 पीज0 के मनोरंजन पर तथा हरियाणा राज भवन के बिजली तथा पानी प्रभारों के बिलों आदि के कारण अतिरिक्त खर्चा हुआ है। मैं अपने उप मुख्य मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि प्र 1ासनिक खर्चों में कटौती करके ही विकास का मार्ग खोला जा सकता है। पिछले सत्र में भी मैंने यह कहा था कि जो सरकारी वाहन हैं, उनका सरे आम दुरुपयोग हो रहा है। 1983-84 में अधिक दौर जो दिखाये गये हैं, यह यही दर्शाते हैं कि जो वाहनों सरकारी अधिकारियों को दे रखी हैं, उन वाहनों का वे सरकार काम के लिये ही नहीं बिल्क निजी काम के के लिये भी दुरुपयोग करते हैं। साहब के बच्चों ने स्कूल में जाना है तो वाहन छोड़ने जाता है। साहब की बीवी ने अगर बाजार जाना है तो सरकार बाहन में ही जाती है। मनोरंजन के लिये सिनेमा जाना है तो वहां पर भी यही वाहन जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हिन्दुस्तान में पेट्रोल और डीजल किसी दे 1 के मुकाबले सबसे महंगा मिलता है। यह सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमत

इसलिये बढ़ाती हैं ताकि इसकी खपत कम हो। लेकिन यह एक तथ्य है कि इस देश में जितना भी ज्यादा पेट्रोल और डीजल खपत होता है, उसका 70 प्रतिशत सरकारी वाहनों में खर्च होता है। सरकारी वाहनों में पेट्रोल और डीजल का दुरुपयोग होता है। उसकी सजा निजी वाहनों के मालिकों को ज्यादा कीमत देकर भुगतनी पड़ती है। पिछले सत्र में मैंने मांग की थी कि सरकारी वाहनों का दुरुपयोग सख्ती से रोका जाये और हमारे वित्त मंत्री जी ने यह आवासन दिया था कि सरकारी वाहनों के दुरुपयोग को रोकने के लिये हम कड़े उपाय करेंगे। मैं अपने उप मुख्य मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि जब वे जवाब देने के लिये खड़े हो तो यह भी बताये कि इन 5 महीनों के अन्तराल में सरकारी वाहनों के दुरुपयोग को कितना रोक पाये हैं, और कितनों को इस बाबत की सजा दी है? इसी तरह से अरिक्त स्थानों पर नियुक्ति और उसके वेतन के खर्च का जहां तक ताल्लुक है, मैंने कहा था कि अधिकारियों के घरों पर, चाहे वह पी0 डब्ल्यू डी0 हो, चाहे इरीगेशन हो या फूड एण्ड सप्लाय हो, कोई भी महकमा हो, उसके चतुर्थ श्रेणी के जो ऐडहाक पर या दिहाड़ीदार कर्मचारी होते हैं, उनका घरेलू कामों के लिए इस्तमाल किया जाता है। उनकी तनखाह सरकार के खजाने से दी जाती है। इससे ऐसिअमैट बढ़ जाता है और उसको पास करने के लिए सदन के सम्मुख रख दिया जाता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने भ्रष्टाचार से लड़ने का आवासन दिया था मैं चाहूंगा कि वे बताने की कृपा करें कि इस दुरुपयोग को रोकने के लिये उन्होंने कितने छोपे

मारे और कितने अधिकारियों के घर पर काम करते हुए मजदूर कर्मचारी मिले जिन्हें सरकारी मस्टर रोल से तनखाह दी जा रही थी?

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य एवं पूर्ति विभाग के बारे में मांग नं० 14 आयी है। उस पर जिक्र करते हुए मैं कहूंगा कि अतिरिक्त खर्च के लिये इसमें यह कहा गया है कि यह इसलिये हो गया कि वितरण केन्द्र के निरीक्षण हेतु अधिकारियों के अधिक दौरे हुए। नयी पड़ताल चौकियों के लिये दैनिक मजदूरी पर अमले की नियुक्ति के सम्बन्ध में हुए खर्च को पूरा करने के लिये जो खर्चा अनुपूरक अनुमानों दूसरी किस्तों 1983-84 के माध्यम से प्राप्त किया गया था, वह बढ़ गया। साथ ही पी० ओ० एल० वाहनो के अनुरक्षण, यात्रा भत्ते की अदायगी और अन्य आकस्मिक मदों सम्बन्धी खर्च और दिल्ली में सम्पर्क कार्यालय की स्थापना के कारण खर्च बढ़ गया। उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग निरीक्षण के लिए अधिक नाके स्थापित करता है और अधिक दौर पे करता है। मैं आज फिर इस सदन में कहना चाहता हू कि विविल सप्लाइ विभाग कम से कम 1983-84 में तो करप्ट सप्लाइ विभाग था। यहां तो डिस्ट्रीब्यूशन प्वायंट पर हो करप्टेशन भुरु हो जाता है। इसमें दौरास करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज सदन से उप-मुख्य मंत्री महोदय के समक्ष और सरकार के समक्ष कह रहा हू कि आज रिवाड़ी को ले, नारनौल को लें, अम्बाला कैट को ले लें या भिवानी को ले लीजिए और इन

जगहों पर किसी भी राशन की दुकान पर चले जाएं, उस राशन की दुकान का रजिस्टर ले लीजिए और उस रजिस्टर में दर्ज सारे राशन कार्ड मंगवा लीजिए। डिपो होल्डर के रजिस्टर में राशन लेने वालों को जो राशन दिया दिखाया गया है वह राशन कार्डों में दर्ज नहीं मिलेगी। (गौर एवं व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मसला है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग इसलिए खोला गया था कि जनसाधारण को सस्ती दरों पर उपभोग की जरूरी चीजें जैसे गेहूं चावल, चीनी मिट्टी का तेल और कपड़ा आदि मिले सकें। लेकिन होता यह है कि गेहूं, चावल चीनी मिट्टी का तेल और कपड़ा आदि मिल सकें। लेकिन यह होता है कि गेहूं चीनी चीनी, मिट्टी का तेल जब राशन डिपोहोल्डर को दिया जाता है तो अधिकारी हर बोरी में से दो किलो चावल निकाल लेते हैं, हर बोरी में से गेहूं निकाल देते हैं। मिट्टी के तेल में पन्द्रह लीटर लेकर राशन होल्डर को तेल को दिया जाता है मेरे कहने का मतलब यह है कि भुरु में ही अधिकारी खा जाते हैं तो अधिकारी हर बोरी में से दो किलो चावल निकाल लेते हैं, हर बोरी में से गेहूं निकाल देते हैं। मिट्टी के तेल में पन्द्रह पैसे प्रति लीटर लेकर राशन डिपो होल्डर को दिया जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि भुरु में ही अधिकारी खा जाते हैं। सारा कुछ आरम्भ में ही जाता है। लेकिन कहते हैं कि निरीक्षण करने के प्रति लीटर लेकर राशन होल्डर को दिया जाता है तो अधिकारी मतलब यह है कि यह भुरु किया जाता है अध्यक्ष महोदय बेमियानी बात की जा रही है। मैंने पिछली बार एक बहुत

गम्भीर मामला करप्ट सप्लाइ का उठाया था और पूछा था कि कितने राशन डिपोज को चैक किया गया? मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के राज के दौरान एक एक व्यक्ति को चार-चार पांच-पांच फर्जी नामों से डिपों दे दिये गए। आज हालिजत यह है कि कई डिपो समय पर नहीं खोला जाता। कोई चीज उचित दर पर नह मिलती। पाम,आयम गेहू कपड़ा मिट्टी का तेल और चीनी सारा माल खुल बाजार में बेचा जाता है। उपाध्यक्ष महोदय मैं मिट्टी के तेल के बारे में कहना चाहता हूँ। उप मुख्य मंत्री जी, आपके पास तो सरकारी वाहन हैं लेकिन हमारे पास निजी गाडियां हैं। इन गाडियों में यही मिट्टी का तेल पैट्रोल में मिलकर आता है। दूसरा कोई तेल नहीं है। यही तेल मिलाया जाता है। हम जानना चाहेंगे कि खाद्य आपूर्ति विभाग में पिदले बजट सत्र से लेकर इस मानसून सत्र के दौरान कितना करपशन कम किया गया है कितने राशन के डिपुओं को चैक किया गया और वितरण प्रणाली को ठीक करने में कितने सफलता प्राप्त की है?

उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 15 सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है। इसमें कहा गया है कि अतिरिक्त मंहगाई भत्ते कीअदायगी और उठान सिंचाई स्कीमों के सामान्य जल मार्गों के अनुरक्षण के कारण अधिक खर्च हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि जो कैनल सिस्टम हैं उसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए हमें ज्यादा खर्च करना पड़ा है। मैं सदन में पूरी गम्भीरता से कह रहा हूँ कि जब इरीगेशन डिपार्टमेंट और कैनल डिपार्टमेंट

में सुरजेवाला मंत्री थे तो उनके समय में रिमुवल आफ सिल्ट अर्थात् नहरों में जो मिट्टी जमा हो जाती है, उसको निकाले का काम और दूसरे स्ट्रेन्थनिंग औफ बैंक्स अर्थात् नहरों के किनारों का मजबूत करना, इन दो कामों की भरमार थी। ये काम हर जिले में और हर क्षेत्र में होते हैं और इस पर लाखों रूपया डकारा जाता है और काम कुछ नहीं होता। फर्जी और झूठे मस्टर रोल बनाए जाते हैं और एक आदमी द्वारा उस पर अपने हाथ और पैर की उगलियों के दस दस नि गान टेक दिए जाते हैं। इस तरह से डिप्टी स्पीकर साहब, झूठे मस्टर रोलज से पैसा ले लिया जाता है।

Revenue Minister (Shri Suraj Bhan): These are wild allegations unless these are supported by facts.

Shri Raghu Yadav: I had even a memorandum to the Hon'ble Irrigation & Power Minister during the last session of the Vidhan Sabha. The inquiry is on I am making these allegations very specifically and with full responsibility that on the name of desilting of canals and strengthening of banks, they are making fraud and looting the public money. We must be very watchful and must see that we stop the corruption.

चौधरी बलबीर सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, पिछले काफी अर्से से इन कामों के लिये कोई पैसा नहीं दिया गया है न ही कोई पैसा मन्जूर ही किया गया है, यह जानकारी सबको है। इस तरह की धांधली पहले चलती होगी लेकिन आजकल नहीं चलती वाटर कोर्सिज की मुरम्मत के लिए कोई पैसा नहीं मिल रहा है।

इस तरह की झूठे ऐलिंगे एन्ज लगाना और ऐडमिनिस्ट्रे टन को झूठा कहना सरासर गलत बात हैं ।

श्री रघु यादव: उपाध्यक्ष— महोदय मुझे नहीं पता कि चौधरी बलवीर सिंह जो सिंचाई मंत्री हैं कि नहीं लेकिन हो सकता हैं 1983-84 में वे रहे हों और कांग्रेस राज्य के दौरान ऐसा हुआ हो । लेकिन सवाल यह हैं कि कांग्रेस राज के दौरान जो खर्चा हुआ हैं, उसका अनुमोदन आज ये हमसे करवाना चाहते हैं । असल बात तो यह हैं कि कांग्रेस राज के दौरान जिन्होंने नहर से मिट्टी निकालने के नाम पर या नहर के किनारों को पक्का करने के नाम पर पैसा खाया हैं, उनको सजा देने का क्या इंतजाम किया गया हैं । हमारी सरकार 15 महीनों से सत्ता में हैं । इन 15 मास के दरमियान भ्रष्टाचार के और अनियमितताओं के कितने केसिज उजागर हुए हैं, कितने केसिज की जांच पड़ताल की गयी है । और भ्रष्टाचार व अनियमितताएं करने वाले कितने अधिकारियों को इस सरकार ने दण्ड दिया हैं मैं तो यह जानना चाहूंग? उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के आरोप मैंने पिछले सत्र में भी लगाये थे, अब भी लगा रहा हूँ और सिंचाई एवं बिजली मंत्री जी को इस बारे में एक लिखित ज्ञापन भी दे चुका हूँ । मेरा तो केवल यही कहना हैं कि वास्तव में जमीन पर कोई खर्चा नहीं होता और खामखाह जनता के ऊपर इसका बोझा डाला जाता हैं । इस तरह केवल अप-व्यय हो रहा हैं । इसके प चात उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर 23 पर कुछ कहना चाहूंगा । डाक्टर मंगल सैन जी

ने अपने विचार सड़ पर पहले ही व्यक्त किये हुए हैं। इसमें कहा गया है कि—

“विविध नाका स्थलों पर कर संग्रहण एजेन्सियों के लिये अपेक्षित नये पद बनाने, नाका स्थलों के अमले के लिये फर्नीचर की खरीद करने और 9 प्रति 100 से 10 प्रति 100 ब्याज दर में वृद्धि के कारण पूंजीगत निवेश पर अधिक ब्याज की अदायगी करने के लिये प्राप्त की गई थी।”

उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली बोर्डर पर ही नाका खड़ा करने का खर्चा हुआ था और वह नाका अतिरिक्त वसूली के लिये नहीं था। उस समय के रोडवेज के मंत्री की कोठी हरियाणा और दिल्ली के बोर्डर पर, कापासेड़ा गांव के पास थी, इसलिये वहां पर नाका खड़ा करवा लिया गया। उस मंत्री ने अपने चहेते स्टाफ की यह ड्यूटी लगा रखी थी कि जो हरियाणा रोडवेज की बस उस मार्ग से हरियाणा में आये और हरियाणा छोड़ कर दिल्ली में प्रवेश करें, उससे वह 15-20 रुपये के हिसाब से वसूली करे। सवाल यह है कि उन्होंने अपनी निजी वसूली के लिये, अपनी आय को बढ़ाने के लिये सरकारी खर्च पर एक नाका खड़ा किया और स्टाफ यूज किया गया। आज हम सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं, पुरानी परम्पराओं के अनुसार हमें इन को पास करना ही पड़ेगा। यह खर्चा तो हो चुका है। हमें तो कहना कि इसको मंजूर किया जाए लेकिन उपाध्यक्ष महोदय मैं परिवहन मंत्री से इतना अवगत कहूंगा कि दिल्ली से चण्डीगढ़ या चण्डीगढ़ से दिल्ली, हरियाणा

रोडवेज का सब से महत्वपूर्ण रूट हैं। इस रूट पर कई ए० सी० बसें चलती हैं लेकिन उनमें से अधिकांश का एयर कंडीशनर नहीं चलता। ए० सी० बसें हो और उनका एयर कंडीशनर काम न करें, यह बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि ए० सी० बसें चारों तरफ से बन्द होती हैं। सरकार यात्रियों से पूरा भाड़ा लेती है लेकिन उनको पूरी सहूलियतें प्रदान नहीं करती। बहुत से लोग ऐसी बसों से ट्रेवल करते हैं। हमें भी उन बसों में ट्रेवल करने का अधिकार है। अगर ए० सी० बसिज में एयर कंडीशनर नहीं चलेगा तो पब्लिक के लिये ए०सीव बसें चलाना व्यर्थ है। इसी तरह से जो वीडियो कोच हैं उनके वीडियो नहीं चलते। अगर वीडियो चलते हैं और फोटो दिखती हैं तो आवाज नहीं सुनाई देती और आवाज सुनाई देती है तो फोटो नहीं दिखती। जो सामान्य बसें हैं, जिनमें हरियाणा के करदाता, जिनके टैक्स पर हम सब लोग, यह सारा विकास का काम और सारे प्रशासन का खर्चा चलता है, जिन बसों में ट्रेवल करते हैं, उन बसों की हालत यह है कि सिवाए हार्न के उनमें सब कुछ बजता है। तो उपाध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग के लिए जो अतिरिक्त खर्चा मांगा गया है, उसको तो हम मंजूर करते हैं लेकिन यह बात गलत है कि हम ऐस्टीमेट तो करते हैं 20 मिनट बसें खरीदने का लेकिन खरीद लेते हैं 60 मिनट बसें। इस वजह से यह सारी गड़बड़ हो जाती है। तो हम उतना ही ऐस्टीमेट करें जितनी हमको खरीदनी है। इसलिए मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि प्रशासनिक खर्च को चैक किया जाए। जैसे वाहनो के दुरुपयोग की बात मैंने कही थी,

कर्मचारियों से घरेलू बेगार लेने की बात कही थी, खाद्य एवं पूर्ति विभाग में डिस्ट्रीब्यूशन के प्वायंट पर ही करण उन की बात कही थी और सिंचाई विभाग में डी-सिल्टिंग एंड स्ट्रैन्थनिंग आफ बैंकस में बड़े भारी भ्रष्टाचार और घोटाले की बात कही थी, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उसके बारे में भी सदन को जानकारी देंगे कि उन्होंने इस 15 महीने की सत्ता के कार्यकाल के दौरान उस समय के कितने भ्रष्ट और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों की जांच की, पकड़ा और सजा दी तथा घर बैठाया। धन्यवाद

श्री कैलाश चन्द भार्मा (नारनौल): उपाध्यक्ष जी, अनुदानों तथा विनियोजन से अधिक मांगे यद्यपि 1983-84 की मांगे हैं फिर भी एक वैधानिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे सामने ये चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हैं। वर्ष 1983-84 में जो अधिक खर्चा हो गया था, वास्तव में इन मांगों के द्वारा हमने उसका अनुमोदन करना है। परन्तु इसकी चर्चा का लाभ यह हो सकता है कि जो गलती भूत काल में जिन कारणों से हुई हैं, उस पर हम विचार करें ताकि वर्तमान में जिन मंत्रियों पर यह दायित्व है, जो भूल हो गई हैं, वह कम से कम हमारे काल में न हो। मुख्य रूप से मैं आदरणीय वित्त मंत्री से कहना चाहूंगा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जानबूझ कर या गगलतती से हो जाती हैं और उस कमी को दूर करने के लिए लोग कोर्ट का सहारा लेते हैं। जैसे अभी ताजा घटना हुई है। कुछ प्रिंसिपल हमारी सरकार ने परीमोट किए हैं। मुझे पता लगा है कि उनमें से 10 प्रिंसिपल

ऐसे है जो प्रिसिपल की सीनियोरिटी के हिसाब से बहुत पुराने हैं क्योंकि वे डायरेक्ट प्रिसिपल बने, लेकिन वे 25 साल की सीनियोरिटी पूरी नहीं करते। कल समाचार पत्रों में विस्तार से बात आई थी कि वे कोर्ट में जाएंगे और आज जो हमने अनुमान लगा रखा है, दो तीन साल के बाद मान लो यदि कोर्ट ने फैसला कर दिया कि नीचे से उनको तनखाह दो, पीछे से बढ़े हुए ग्रेड दो, तो स्वाभाविक रूप से बाद में आने वाले समय में वे मांगे फिर पास करनी पड़ेगी। इसलिए इस प्रकार की गलतियां न दोहराई जाएं और उन पर विचार किया जाए ताकि भविष्य में जो अनुमान लगाए हैं, वे गलत न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग संख्या 8 पृष्ठ सं0 5 और 6 जो भवन तथा सड़को से संबधित हैं, के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। उस समय भवन तथा सड़को के काम पर 20563 रूपए अधिक खर्च किए गए। मैं समझता हूं कि इस का कारण यह हो सकता है कि भवनो या सड़को के लिए जो जमीन ऐक्वायर की जाती है उसका ऐस्टिमेट कभी बनता है और उसका निर्माण कई साल के बाद होता है। ऐसा करने से स्वाभाविक है कि आज जिस चीज की जो कीमत है वह आने वाले पांच साल के बाद काफी बाद काफी बढ़ जाएगी। इस बारे में मैं अपने हल्के की बात कहना चाहूंगा कि आज से पांच साल पहले एक सड़क बनाने के लिए ऐस्टिमेट बनाया गया था लेकिन आज तक वह सड़क प्रारम्भ नहीं हुई है। जिन किसानों की जमीन उस सड़क के लिए

ऐक्वायर की गई थी,उनको भी आज तक मुआवजा नहीं मिला है। वे किसान आज भी मआवजे के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। कोर्ट ने भी इस बारे में जो डिसीजन देना हैं, स्वाभाविक हैं वह पांच साल के बाद की बढ़ी हुई कीमतों के हिसाब से देगी। इस तरह से सारे काम गलत हो जाते हैं। इस समय हमारे लोक निर्माण मंत्री महोदय हाउस में मौजूद नहीं हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इस कसमय हमारी सरकार ने जो काम सड़को को बनाने के लिए या भवनों को बनाने के लिए हाथ में लिया हैं, उसको पूरा करने में गति आनी चाहिए और वह कार्य तुरंत पूरा होना चाहिए। किसी काम को करने में ज्यादा समय लगने से आपत्तियां पैदा हो जाती हैं और काफी दिक्कते पैदा हो जाती हैं तथा हमारे अनुमान से ज्यादा पैसा उन कामों पर खर्च हो जाता है।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री रघु यादव जी ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के बारे में काफी विस्तार से बाते सदन में रखी है लेकिन आदरणीय सुशमा जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। यह बात बिल्कुल ठीक हैं कि हमारी सरकार के आने के बाद लगभग सभी विभागों में काफी सुधार हुआ हैं, परिवर्तन हुआ हैं और भ्रष्टाचार कम हुआ हैं लोगों ने यह महसूस किया हैं कि इस सरकार के आने के बाद भ्रष्टाचार में कुछ रूकावट पड़ी हैं। लेकिन एक बात कहते हुए मुझे कष्ट हो रहा कि हमारे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पर अब भी कोई वि शेष असर नहीं पड़ा हैं, उसमें अभी भ्रष्टाचार हैं। यद्यपि आदरणीय

बहन जी ने पिछले सै ान के दौरान काफी आ वासन दिए थे कि हम इस विभाग से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए पूरी पूरी कोर्िा कर रहे है और करते रहेंगे। मैं कहता हूं कि इस विभाग में कर्मचारियों की एक फौज बनाई हुई है। उनके पास जो सामान जाता है इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ऑफिस खुद उनको भ्रष्टाचार सिखाता है। जो भी डिपो होल्डर उनके पास सामान लेने के लिए जाते हैं, उनको इंस्पैक्टर कहेंगे कि आप पहले हमारा पांच रूपए बोरी के हिसाब से कमि ान दे कर जाए। डिपो होल्डर की चीनी बिके या न बिके, यह उनकी कोई गारटी नहीं। डिपो होल्डर इंस्पैक्टर से कहेगा कि साहब चीनी में तो कोई मार्जिन ही नहीं है, बहुत कम मार्जिन है, इसमें तो हमें कुछ बचता ही नहीं, खाली बोरी ही बचती है, तो इस बात का जवाब तहोता है कि चीनी की मंडी में बेच जाओ और मंडी से सल्फर उठा कर ले आओ और कंज्यूमर्ज को सल्फर बेच दी। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में होता भी ऐसा ही है। गांवों के आदमी अनजान होते हैं, वे चीनी और सल्फर में कोई अन्तर नहीं निकाल सकते। गांवों के लोगों को यह पता नहीं होता कि चीनी और सल्फर में क्या डिफरेंस होता है। गांवों की आम जनता को चीनी की जगह सल्फर खिलाई जाती है। पिछले दिनों हरियाणा में सूखा पड़ा था और प्रदेश में गेहूं की कमी थी। उस समय हरियाणा सरकार ने बार बार यह कहा कि आम किसानों को, मजदूरों को जहां पर खेती नहीं है यानी फसल नहीं है, जहां अनाज पैदा नहीं हुआ है, वहां पर गेहूं दी जाए लेकिन गेहूं वहां पर ठीक प्रकार से नहीं

पहूंची। डिपसे हजोल्डर्ज ने गेहूँ वही की वही बेची दी। इंसपैक्टर्ज ने भी उसमें काफी पेसा कमाया। एक बोरी पर इंसपैक्टर्ज ने पांच रूपए पंद्रह पैसे का कमि न रखा हुआ था, जैसे बाटा कम्पनी अपने जूते पर 99 रूपए 95 पैसे रेट लगाती हैं, ठीक उसी प्रकार से इंसपैक्टर्ज ने तय किया हुआ है। एक बारी पर 5 रूपए 15 पैसे लेंगे 14 पैसे नहीं लेंगे। इंसपैक्टर्ज डिपो होल्डर्ज से कहते ह कि तुम्हे कंज्यूमर्ज को गेहूँ बेचने की कोई जरूरत नहीं, जाओ किसी मंडी में बेच दो या कही बाहर बेच दो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि कम से कम इस विभाग में जरूर चैकिंग होनी चाहिए। इस बात की जांच भी होनी चाहिए कि उनकी इतनी मामूली तनख्वाह में किसी भी कर्मचारी का गुजारा नहीं चलता? उपाध्यक्ष मजहोदय, यह बहुत ही चिन्ता करने के बावजूद भी इस विभाग में जो सुधार होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। इसलिए मैं आदरणीय उप मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विभाग की और विशेष रूप से ध्यान दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 15 सिचाई विभाग से संबंधित हैं। इसके बारे में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। मेरा जिला महेन्द्र गढ़ है और उस जिले में इस सरकार की कृपा से पहली दफा नहरी पानी पहुंचा हैं। पहली बार उस जिले के लोगों ने यह अनुभव किया हैं कि नहर के पानी का क्या स्वाद होता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि उस क्षेत्र के अनके पम्प हाउस ऐसे ही पड़े हुए हैं, जिनमें बिजली की मोटरे

अभी तक फिट नहीं की गई हैं और न ही उनके लिए वहां बिजली पहुंची है। इसका परिणाम यह हुआ कि जिन खेतों के अन्दर पानी पहुंच गया है और बिजली की मोटरों के अभाव के कारण पम्प हाउस नहीं चल सके हैं, उन किसानों को बहुत पीड़ा है। जिन किसानों के खेतों में पानी पहुंच गया है लेकिन बिजली की मोटरों के अभाव के कारण पम्प हाउस न चलने से पानी नहीं मिल रहा है, उनको इस बात का बहुत भारी दुःख है। जब भी चौधरी देवी लाल जी मेरे जिले महेन्द्रगढ़ में गए हैं तो उन लोगों ने बार-बार यही कहा कि आप हमारे पम्प हाउसिज को चालू करवाएं ताकि इस पानी का स्वाद हम भी ले सकें। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस वित्त वर्ष में इस काम के लिए, चाहे सरकार को अतिरिक्त पैसा जुटाना पड़े, जुटाया जाए ताकि वहां पर पम्प हाउसिज चल सके। केवल महेन्द्रगढ़ जिला एक ऐसा जिला है जो राजस्थान के बोर्डर पर है और नहर के टेल पर है। वहां पर पम्प हाउसिज बने हुए हैं, और पक्की नहरे बनी हुई हैं लेकिन पम्प हाउसिज चालू करने के लिए पैसे की कुछ अधिक आवश्यकता हो सकती है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि बरसात के कारण भाहरों की गालियां और सड़के काफी खराब हो गई हैं। लोगों की नजरें सरकार की तरफ लगी हुई हैं कि इनको जल्दी से जल्दी ठीक करा दिया जायेगा। इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि अगर म्यूनिसिपल कमेटियों को नई सड़कों के लिए पैसा नहीं दिया जा सकता तो पुरानी गालियां या सड़के

टूट चुकी हैं, उनकी मुरम्मत के लिए विशेष अतिरिक्त अनुदान दिया जाये ताकि बरसात से हुए नुकसान को पूरा किया जा सके।

श्री भाग माल (सढ़ौरा-अनुसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 15 और 17 पर एक साथ बोलना चाहता हूँ। यह ठीक है कि ये डिमांड्स 1983-84 की हैं। यह बात भी सही है कि जाने अनजाने में जो खर्चा बढ़ा वह पूरा कर रहे हैं यानी उसकी इजाजत देनी पड़ रही है, लेकिन मैं उनके मायण्यम से वित्त मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि आगे के लिए इस किस्म की कोई व्यवस्था करें ताकि सारे काम ठीक समय पर पूरे हो सके। पिछले साल हमारे यहां पर भी सूखा पड़ा था अब बरसात की वजह से नुकसान हुआ है। इन दोनों आपत्तियों से हुए नुकसान को पूरा करने के लिए हमें बजट की सप्लीमेंटरी डिमांड्स अलग से लानी पड़ेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के की जो समस्याएं हैं, उनके बारे में मैं उप मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। पीछे बरसात ज्यादा हो गई जिससे ड्रेनेज को काफी नुकसान अधिक हुआ है क्योंकि मेरा हल्का हिमाचल की पहाड़ियों के साथ लगा हुआ है। यहां पर तेज बारिश आने से जमीन पर कटाव भुरू हो जाता है। इस बार भी अधिक बारिश होने की वजह से जमीन पर कटाव भुरू हो जाता है। इस बार अधिक बारिश होने की वजह से तीन चार गांव रून्, संगरानी, मियापुर राऊमाजरा के लोगों को आदेश दिए गए हैं कि वे गांवों को खाली कर दें क्योंकि कटाव ज्यादा हो रहा है। इस कटाव को

रोकने के लिए जब मैं डिपटी कमि नपर से मिला और कहा कि वहां पर आप कोई टैम्परेरी प्रबंध कर दें ताकि लोगों का अधिक नुकसान न हो सके तो डी० सी० साहब कहने लगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मारकण्डा नदी की काफी पुरानी नदी है। इस नदी पर एक छोटा सा रसूल गांव बसा हुआ है। यह गांव मारकण्डा नदी के कटाव से सिर्फ 100 फीट भी नहीं रह गया है। वहां पर लोगों ने अपने पक्के मकान बनाये हुए हैं। वे सब कभी भी गिर सकते हैं। वहां के लोगों ने अपने पक्के मकान बनाये हुए हैं। वे सब कभी भी गिर सकते हैं। वहां के लोगों को भी अलटीमेटम दे दिया गया है कि गांव को खाली कर जाओ। अगर वहां पर थोड़ा सा पैसा खर्च करके कोई इन्तजाम कर दें तो इस कटाव को रोका जा सकता है। पैसा खर्च न होने की वजह से ही नुकसान हो सकता है। आज राजस्व मंत्री जी बता रहे थे कि बाढ़ से प्रभावित हुए अम्बाला जिले को 5 लाख रुपये की सहायता दी गई है। इतने बड़े जिले के लिए जिसमें काफी पहाड़िया आती हो, 5 लाख रुपये कोई ज्यादा नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय मेरे हल्के में पहाड़ीपुर गांव में एक 66 के०वी० लाईन का टावर है। पानी के बहाव के कारण इस टावर को भी खतरा बना हुआ है। यदि यह टावर भी पानी की चपेट में आ गया और गिर गया तो मेरे हल्के के लोगों को कम से कम एक महीने के लिए बिजली नहीं मिल पायेगी। इस को बचाने के लिए बिजली और ड्रेनेज महकमे वाले दिन-रात लगे हुए हैं। करीब 100 आदमियों को कारे इसकी देखभाल के लिए रखा है। वहां पर दिन रात काफी ट्रक पत्थर ला कर

डाल रहे है लेकिन बरसात की वजह से तेज पानी आ जाता है। और सारे पत्थर बह जाते हैं जिसकी वजह से इसके गिरने का भय बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि अगर इस चालू योजना में वहा पर यानी मारकंडा नदी पर पुल बना दिया जाये तो यह समस्या हल हो सकती है। पानी के बहाव को ध्यान में रखते हुए ही पड़ेल माजरा और मंगत माजरा को खाली कराने का अल्टीमेटस दिया हुआ है। मैं अपने उप मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मेरे इलाके में पानी के बहाव से तोड़-फोड़ ज्यादा होती है क्योंकि पानी ठहरता नहीं बल्कि तेजी के साथ बहता है। लोगों की हजारों एकड़ जमीन नदियां से बह गई हैं। हमारा दुर्भाग्य यह है कि पहले तो वहां पर बारिश नहीं हुई और सिंचाई के लिए नहरों आदि की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही नहर के बारे में सोचा ही जा सकता है। जो ट्यूबवैल्वज लगते हैं वह बहुत ही ज्यादा गहराई पर लगते हैं जो बहुत ज्यादा खर्चीले पड़ते हैं। इस समय लोगों के पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है। इस इलाके में सिंचाई का सिर्फ एक ही साधन हो सकता है और वह यह है कि इन बरसाती नदियों पर छोटे-छोटे बांध लगा कर पानी रोकना। इस रूके हुए पानी से थोड़ी बहुत सिंचाई हो सकती है। इन नदियों में हजारों एकड़ जमीन कटाव के कारण मिट्टी रेत में बदल चुकी है जिस में फसल नहीं हो सकती। सरकार यदि चाहे तो इन छोटे-छोटे नालों पर बांध बनवा सकती है जैसे कलका के इलाके में बने हुए हैं। इन बांधों से काफी पानी रोका जा सकता है जिससे कुछ सिंचाई हो सकती है। सूखे के

दिनों में लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था इसलिए इन छोटे मोटे बाधों से मवेशियों के लिए पानी का काम चलाना पड़ा और बाद में इन्हीं से लोगों को अपने पीने के लिए भी पानी इस्तेमाल करना पड़ा। इस इलाके में कोई नहर तो नहीं जाएगी क्योंकि इसका कोई जरिया नहीं है, कोई साधन नहीं है। इस लिए लोगों को राहत देने के लिए एकमात्र साधन छोटे-छोटे बान्ध बनाना ही है। ड्रेनज से सिंचाई करने के लिए छोटे-छोटे बांध बनाए जाने चाहिए ताकि लोग थोड़ी बहुत सिंचाई कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करता हूँ कि आगे के लिए कोई समूचित प्रबन्ध किया जाए ताकि लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके।

इसके साथ ही मैं ऐग्रीकल्चर के बारे में कहना चाहूंगा। मेरे हलाके में पहले तो सूखा पड़ा, बरसात न होने के कारण लोग फसल नहीं बो सके और जो फसल मुक्तिल से बोई थी, वह नदियों के तेज बहाव से पानी में बह गई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे इस इलाके में कोई ऐसे साधन पैदा किये जाएं जिससे किसानों का जो लाखों रूपये का नुकसान हो गया है उसकी पूर्ति हो सके जिन लोगों के पास अगली फसल बोने के लिए पैसा नहीं होगा, उनको मुआवजा दिया जाए। इसके इलावा, हजारों मकान गिर गये हैं, उन बेघर लोगों को दोबारा बसाने के लिए तत्काल मुआवजन या कुछ सहायता दी जाए। इन भावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री जगपाल सिंह चौधरी (नारायणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, जो डिमांड्ज हाउस में प्रस्तुत की गई हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 2-4 मिनट में ही अपनी बात कह दूंगा। मेरी राय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम इरीगे ान हैं। इरीगे ान के क्षेत्र में हमारे जिला अम्बाला की तरफ से अन्य जिलों के मुकाबले में काफी कम ध्यान दिया जा रहा है। इस लिहाज से सारा ऐरिया पिछड़ा हुआ है। यहां पर छोटी-छोटी नदियां जैसा बेगना, रूण, टांगरी आदि बहती हैं और नीचे जा कर फ्ल्ड का रूप धारण करती हैं और हमारे इलाके में कटाव बहुत ज्यादा करती है। इस साल भी कई आदमी बह गये और मर गये। कई हजार एकड़ जमीन खराब हो गयी। पहले इरीगे ान डिपार्टमेंट की घग्गर डैम बनाने की प्रोपोजल थी लेकिन अब ज्यासपुर में टांगरी नदी के ऊपर डैम बनाने का ऐस्टीमेट बना हुआ है, उसके ऊपर अधिक से अधिक ध्यान दे कर जल्द से जल्द पैस का प्रवधान किया जाये। इस डैम के बन जाने के बाद नीचे के इलाकों को काफी फायदा होगा और जो हमारा सब-मांडटेनियस ऐरिया है उसको भी काफी फायदा होगा।

एक बात मैं एम0 आई0 टी0 सी0 के बारे में कहना चाहता हूँ। एम0 आई टी सी ने बिजली के पैसे भी सरकार को काफी देने हैं। इस कार्पोरे ान के पास पैसे की बहुत कमी है और एम0 आई0 टी0 सी0 को ज्यादा काम कर रही है, वह अम्बाला में काम कर रही है इसलिए वहां पैसा देना बहुत जरूरी

हैं। एम० आई० टी० सी० ने अम्बाला जिले में बहुत ज्यादा ट्यूबवैल्ज लगाये हैं, इसलिए वहां जरूर पैसा दिया जाये।

पिछली दफा कहा गया था कि इरीगे इन डिपार्टमेंट की तरफ से हथनी कुण्ड बैराज बनाने की स्कीम हैं। यू० पी० और हरियाणा के बीच में हय मामला सैट भी हो गया हैं। इसके लिए एक करोड़ रूपया रखा गया हैं। यह एक करोड़ की बजाए पांच करोड़ किया जाये ताकि सब-माउन्टेनियस एरिया में इरीगे इन के साधन बन सकें क्योंकि एरिया में ट्यूबवैल्ज कामयाब नहीं हैं।

एक और भी बहुत जरूरी बात मैं हाउस के सामने रखना चाहती हूँ। ऐग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट सायल कन्जर्वे इन का काम करता हैं जिसे बट-बन्दी भी कहा जाता हैं। यह बहुत जरूरी हैं, क्योंकि पानी के कटाव के कारण सारे इजलाके की सायल नदियों में बह-बह कर चली जाती हैं जिसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान होता हैं। इस जमीन के कटाव को रोकने के लिए ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काम करता हैं। इसलिए सालय कन्जर्वे इन के लिए अधिक फन्डज दिये जाये। इससे जीचे के इलाके को भी फायदा होगा और हमासरे इलाके की जमीन भी खराब नहीं होगी।

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बारे में भी अर्ज करना चाहूंगा। सढौरा, छछरौली और नारायणगढ़ का सब-माउन्टेनियम एरिया हैं जहां पर मिनी बस सर्विस बडी कमायाब हो सकती हैं, इसलिए मिलनी बसें ज्यादा से ज्यादा चलायी जायें। इसी प्रकार सढौरा

मुलाना और नारायणगढ़ एरिया में चूकि कोई भी टूरिस्ट कम्पलैक्स नहीं हैं इसलिए वहां पर टूरिस्ट कम्पलैक्स भी खोला जाये। धन्यवाद।

श्री भगवान सिंह रावत (हथीन): उपाध्यक्ष महोदय, आज फाईनैलियल ईयर 1983-84 के अनुदानों तथा बिनियोजनों से अधिक जो मांगे थी, वैधानिक पूर्ति के लिये वित्त मंत्री महोदय ने विधान सभा के सामने रखी हैं। भारतीय संवधान के अनुच्छेद 205 के तहत स्वीकृत राशि से अधिक धन यदि खर्च हो जाता है तो वह नयी स्वीकृत के लिये राज्यपाल महोदय, महालेखाकार की रिपोर्ट के बाद और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट तैयार करने के बाद विधान सभा के सामने रखते हैं और वह हमारे सामने आती हैं। इस वित्तीय वर्ष में जो अधिक राशि खर्च हो गयी है और जिसे इन मांगों द्वारा सदन की स्वीकृत के लिए रखा गया है, उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। लेकिन हमें निश्चित रूप से इसकी स्थिति में जाना होगा या नहीं या उस फिजुलखर्ची से बच करके अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता था या नहीं इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं विभिन्न मांगों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। मांग संख्या 10—चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य, में भी अधिक राशि की मांग की गयी है। यह सही है कि आजादी के 41 साल के बाद जिससे थोड़े से समय को छोड़ कर, हमें कांग्रेस भाइयों के हाथ में सत्ता रही है, ग्रामीण और भाहरी क्षेत्रों में आम आदमी को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध

नहीं हैं। जहां तक हथीन क्षेत्र का सवाल है, जिसका प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ, वहां पर एक भी बड़ा अस्पताल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गांव में बीमार हो जाये तो वहां पर डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं। कई कई मील दूर तक असामयिकी मौत हो जाती है। कभी मलेरिया तो कभी दूसरी बीमारी चलती रहती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में यह अपर्याप्त चिकित्सा सुविधा रही है, इसको दूर करने के लिये अगर कुछ किया जाए तो अच्छा होगा। खर्च की मांग तो हमें बढ़ती रहेगी लेकिन इससे निश्चित रूप से सारी जनता को लाभ मिल पायेगा। इसकी हमें व्यवस्था करनी होगी। आज उदाहरण के रूप में मैं एक बात आपके सामने रखूंगा। स्वर्गीय सरदार प्रताप सिंह कैरों के समय से आज तक इस 8-10 हजार की आबादी के गांव औरंगाबाद में, जहां पहले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता था और बाद में डिवाइल्ड करके पीओ एचओ सीओ बना दिया गया, उसकी बिल्डिंग जीर्ण सीर्ण अवस्था में है। मरीज तो क्या, वहां पर पुरुष भी नहीं बैठ सकते। उसको कभी किसी जगह रिपेट कर दिया जाता है तो कभी कहीं आज तक भी वह जीर्ण भीर्ण अवस्था में ही है। बार बार कोशिश करने के बाद भी, हरियाणा बनने के बाद से आज तक वहां पर कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। दूसरा उदाहरण मैं हथीन क्षेत्र के साथ लगते हुए एक गांव का देना चाहता हूँ जहां पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्वीकृत हो चुका है लेकिन अब तक उसकी बिल्डिंग कील कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है। डाक्टर भी चौपाल में बैठते हैं। आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जहां डाक्टरों के बैठने

की व्यवस्था न हो, वहां परी कैसी हालत होती हैं? मैं निश्चित रूप से यह कहूँ कि इन मांगों को स्वीकृत करने को साथ साथ हमें भी यह स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करवायी जायेगी। एक मांग संख्या 13 है जो समाज कल्याण तथा पुनर्वास के लिये अधिक राशि देती है। हमें इस बात की खुशी है कि चौधरी देवी लाल के नेतृत्व में सरकार आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों, हरिजनो पिछड़ी जातियों तथा दूसरे पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए प्रयत्न कर रही है। अगर इसके लिये और ज्यादा राशि दे दें तो हमें कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन मैं इसके साथ ही एक निजी सुझाव देना चाहूँगा। 41 साल के बाद मेरा अपना अनुभव है कि जातिगत आधार के अलावा आर्थिक वर्ग से या जाति से सम्बन्ध क्यों न हो, अगर वह व्यक्ति या परिवार आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, तो उसको निश्चित रूप से सहायता देने की जरूरत है, चाहे वह ब्रह्मण है या चाहे किसी दूसरी जाति से सम्बन्ध रखता है। कोई भी भाई आर्थिक रूप से कमजोर है तो, उसको सहायता दी जाये। इस 41 साल के अर्से में बजट बनते रहे हैं, पैसे खर्च होते रहे हैं, टैक्स सब के ऊपर समान लगते रहे हैं लेकिन उसका लाभ आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को नहीं मिल पाया है। जहां से यह यात्रा शुरू की गयी थी, आज भी वह वर्ग वही पर खड़े दिखाई देते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकारसे यह अनुरोध करूँगा कि जहां तक कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने की बात है आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति का हो, उसकी

सहायता दी जाये। इसके लिये कोई माप दण्ड बनाकर सहायता दी जाये।

इसके साथ ही मांग संख्या 14 खाद्या तथा पूर्ति विभाग की हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पैदा होने और रहने के बाद मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि खाद्य तथा पूर्ति विभाग किस तरह से लोगों की सुविधा जुटा पाया है जो हर सरकार के सामने सिर झुकाते हैं और दरबारों की भाँभा बढ़ाते हैं। परम्परागत तरीके से चीनी के लिए डिपो-होल्डर बनते चले आ रहे हैं। वह साठ-गाठ करे हमारे अधिकारियों से मिलकर, मैं तो यहां तक कहूँगा कि हमारे प्रतिनिधियों से मिलकर वह लूट बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। आज भी एक ग्रामीण आदमी को, जो 400 ग्राम या 200 ग्राम की निश्चित मात्रा को चीनी या आवयकता की दूसरी वस्तुएं जैसे मिट्टी का तेल आदि, आधा महीने तक बांट करे डिपो होल्डर ब्लैकमेलिंग करता है। आज हमारे वह अनजान तथा अशिक्षित भाई हक अनुसार राशन तथा अपनी आवयकता की दूसरी चीजें लेने में भी कमायबा नहीं हो पाते। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस जर्जर व्यवस्था को पूरी तरह से सुधार करके गावों और सभी भाहरों में इस व्यवस्था के तहत जितनी भी वस्तुएं अथवा सुविधायें हैं, वह उपलब्ध करवायी जाये।

अगली मांग संख्या 15 हैं जो सिंचाई के विषय में हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है

कि आज अकेला हथीन क्षेत्र नहीं नहीं, इसके साथ लगता हुआ नूह, फिरोजपुर झिरका, आपका पलबल और हसनपुर क्षेत्र हैं जो सिंचाई की दृष्टि से पीछे हैं। हमारा पूरा जिला फरीदाबाद और गुडगावां के अधिकांश भागों में सिंचाई का एक मात्र साधन आगरा कैनल है। पिछले विधान सभा सत्र में मैंने एक काल अटेंशन में इनको देकर आपसे आदरणीय सिंचाई तथा विद्युत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहा था कि हरियाणा के इस क्षेत्र में नहर का पानी उपलब्ध नहीं होता। आर्थिक दृष्टि से यह क्षेत्र तब तक उन्नति नहीं कर सकेगा जब तक पानी उपलब्ध नहीं होगा। मुझे बड़े अफसोस के साथ एक बात आपके द्वारा सरकार के नोटिस में लानी पड़ रही है कि इस इलाके में सिंचाई की दर हरियाणा के दूसरे भागों से ज्यादा है। फरीदाबाद और गुडगावा में और दूसरे भागों में सिंचाई की दरें दो गुना या तीन गुना अधिक हैं। उदाहरण के रूप में हमें ईख की सिंचाई के लिए 98 रूपया प्रति एकड़ देना पड़ता है जबकि हरियाणा के हमारे दूसरे किसान भाइयों को 40 या 48 रूपया प्रति एकड़ देना पड़ता है। इसी तरह से सभी जिलों में सिंचाई दरों में जो असमानता है, इससे हम पर डबल बोझ पड़ता है। सारी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत होने के कारण हमारी नहरों में छटाई नहीं हो पाती। गांवों पर पुल ठीक नहीं बने हुए हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे नौजवानों को रोजगार भी नहीं मिल पाता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में इन मांगों को ध्यान में रखते हुए मेरे इस क्षेत्र का

अधिक ध्यान रखा जाए। यह जो खर्च की अधिक राशि है, यह ब्याज प्रभारों में वृद्धि, अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की अदायगी और उठान सिंचाई स्कीमों के सामान्य जल मार्गों के अनुरक्षण के कारण है। उपाध्यक्ष महोदय उदाहरण के लिए अपने क्षेत्र की मिसाल देना चाहूंगा। उटावड़ डिस्ट्रीब्यूटरी में लिफ्ट स्कीम के तहत पानी डाला जाता है लेकिन जब से वह नहर बनी है, आज तक टेल पर कभी पानी नहीं गया और उसके ऊपर छ: इंच या एक फुट तक मिट्टी और घास जमी पड़ी है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां टैक्स और खर्च की बात आती है, हरियाणा के नागरिकों को सामान्य रूप में देना पड़ता है लेकिन जहां हमारे हिस्से की बात आती है, हम कांग्रेस के चालीस साल के भासन में उस हिस्से से वंचित रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अनुरोध करूंगा कि इस बात की ओ भी ध्यान दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 17 जो कृषि से सम्बन्धित है, इसमें जो राशि मांगी गई है, यह प्रोसेसिंग सीड प्लांट और हिस्सा पूंजी की अदायगी और उपनिवेशान विभाग द्वारा मण्डियों के लिए भूमि अभिगृहीत करने के कारण है। मैं आपके माध्यम से दो बातें सदन में रखना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि किसानों का जो भी राहत दी जाती है उसके लिए यह सिस्टम, जो परम्परात ढंग से चला आ रहा है, दोषपूर्ण है। अगर हमें खद पर सबसिडी दी जाती है तो यह पैसा एक ब्लॉक या एक गांव को दे दिया जाता है और उसमें तथाकथित लोग बाक रह जाते हैं। मेरा कहना यह है कि यह सुविधा या सबसिडी या छूट जो किसानों को दी जाए, वह

सीधे किसानों को दी जानी चाहिए। जैस कि खाद का कट्टा सिप्लार्ई किया जाना हैं, उस पर दस रूपया या बीस रूपया हिस्से में आता है जो दिया जाना हैं, वह पहले ह कम करके दिया जाना चाहिए। अगर बीज दिया जाना हैं तो बीज को ही सबसिडाइज्ड रेट पर किसान को दिया जाना चाहिए। फिक्सड अमाउन्ट देकर, कुछ लिमिटेड आदमियों मे वितरित करने से लाभ लोगों को नहीं पहुचता।

इसके अतिरिक्त विकास से सम्बन्धित मांग संख्या 21 हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा कि विधायक जो चुनकर आते हैं उनको अपने इलाके की समस्याओं को यहां रखने का अवसर मिलता हैं।

जो मुझे दो मिनट अधिक दे दीजिए, आपकी कृपा होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह आग्रह हैं कि समुदायों विकास के लिए 1983-84 में और जैसा कि आज भी हुआ हैं, पंचो और सरपंचों का निर्विरोध चुने जाने ओर दूसरे खर्चों पर पुरस्कार देने के कारण यह अधिक खर्च हुआ हैं। लेकिन आज भी मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता हैं कि आजादी के गाद सारा युद्ध ग्रामीण और गरीब जनता के साथ लड़ा गया। जब भी कोई विकास की बात आती हैं तो उसके लिए युद्ध हमारी ग्रामीण जनता, मजदूर, किसान और छोटे दुकानदारों पर लड़ा जाता हैं लेकिन उनके उत्थान के जो परिणाम सामने आते हैं, वे बड़े खेदजनक हैं, उसके लिए हमारे भाई महेन्द्रप्रताप सिंह और उनकी

सरकार जिम्मेदार है। उपाध्यक्ष महोदय, हम जनता से वायदा करके आए हैं कि हमारी सरकार जिम्मेदार हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम जनता से वायदा करके आए हैं कि हमारी सरकार, जो चौधरी देवी लाल, के नेतृत्व वाली सरकार हैं और जिसने 1977 में कुछ विकास कार्य किए थे, वह उनके विकास की तरफ अधिक ध्यान देगी। आज हम यह संकल्प लेकर आए हैं कि पूरी की पूरी जो ग्रामीण और भाहरी गरीब जनता हैं, जो पिछड़ा हुआ तबका हैं, उसके उत्थान के लिए अगर हम काम करेंगे तो हमें एक समग्र विकास के लिए काम करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नं० 23 पर अपने विचार रखना चाहता हूँ जो कि परिवहन से सम्बन्धित हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हरियाणा परिवहन की प्रॉब्लम दूसरे राज्यों में होती है लेकिन इसके साथ मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि एक फ्रस्ट क्लास ऑफिसर की आय एक छोटे कर्मचारी की निसबत बहुत अधिक होती है और एक बस कंडक्टर के पास किसी न किसी तरीके से अपार धन एकत्रित हो जाता है। यह सारा धन अन-फेयरमनीज से इकट्ठा किया जाता है। इस ओर सरकार को जरा खास चैक रखने की जरूरत है ताकि पब्लिक का पैसा सही जगह पर लग सके। भाहरों में बस सर्विस जो है। वह हर 10-10 मिनट के बाद की है और गावों में इस की निस्बत आधे आधे घण्टे की सर्विस है। अगर गावों में इस तरह 10-10 या 15-15 मिनटों की सर्विस

चालू कर दी जाए तो लोगों का काफी सुविधाएं होंगी और सरकार कंडक्टर वगैरह की आमदनी पर, जो अन- फेयर मीनज द्वारा इकट्ठी की जाती है, कोई न कोई चैक लगाए और इस पैसे की गावों में लोगों को ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं देने में प्रयोग करे।

इससे अगली बात मैं कहना चाहता हूं कि स्टाफ को जो ओवर टाइम दिया जाता है, वह लगभग उसके वेतन से थोड़ा कम होता है। लालच में आकर इम्प्लॉईज ओवर टाइम लगते हैं और बुरी तरह से बस ड्राइवर्स वगैरह से ज्यादा काम न लिया जाए, क्योंकि चक्कर वगैरह लगाने से और थकान होने के कारण, नींद का झोंका आ जाता है और उससे ऐक्सीडेंट हो जाते हैं। इसलिये ओवर टाइम न लगा कर नई भर्ती क जाए ताकि जो बेरोजगान नौजवान, जो नौकरी के लिए मारे मारे फिरते हैं उनको रोजगार भी मिल सके। इससे बेरोजगारी की समस्या भी हल होगी और लोगों की जान माल की भी रक्षा हो पाएगी। ऐसा करने से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था और बेहतर बन पाएगी। आमदनी भी डबल होगी।

इससे अगली बात मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बहबूदी के बारे में भी कहना चाहूंगा। ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर सप्लाई स्कीमज पहुंचाने का जो प्रबन्ध इस सरकार ने किया, है, वह बड़ा ही सराहनीय है। लेकिन मैं फिर भी अपने नौजवान साथी श्री रामबिलास भार्मा जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि जहां पहले

ग्रामीण क्षेत्रों में, वर्षों से महिलाएँ मीलों मीलों से अपने सिर पर पानी लादकर लाया करती थी, अब सरकार ने उस दिक्कत को गावों में नलके लगवा कर थोड़ा सा दूर तो कर दिया है, लेकिन उन लको की संख्या अभी बहुत कम है। 50-50 औरतें एक कए नल पर कई-कई घण्टे पहले इकट्ठी हो जाती हैं जिससे हर रोज झगड़े खड़े होते रहते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि सरकार किन्हीं सिलैकटिड गांवों में लोगो की असुविधाओं के लिये घर-घर में पानी पहुंचाने का प्रबन्ध करे ओर नलकों का प्रबन्ध किया जाए ताकि लोगों को किसी भी प्रकार का असुविधा न हो सके। इन भावों के साथ मैं इन डिमांडज करता हुआ अपना स्थान लेता हूँ।

श्री मनफूल सिंह (असन्ध अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने के लिये टाइम दिया, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यह जो ऐक्सैस डिमांडज हाउस के सामने रखी गई हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक दो डिमांडज पर ही कुछ कहना चाहूंगा। सब से पहले मैं सड़को व भवन निर्माण के विभाग से सम्बन्धित अपने विचार रखना चाहूंगा। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे हल्के असन्ध में कुछक सड़के ऐसी हैं जो अभी तक नहीं बनायी गई, न ही सरकार का उस ओर कोई ध्यान ही गया है। पहली सडक बला से पाड़ा तक की है ओर तीसरी सड़क जय सिंह पुरी से रंगरूटीखेड़ा तक

की हैं। इनके न बनने से लोगों को आने जाने में काफी असुविधा हो रही है। (गोर)

मुख्य संसदीय सचिव (श्री धीरपाल सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, आन ए प्वायंट ऑफ आर्डर। यहां पर 1983-84 का जो खर्चा हुआ है, उस पर डिस्कान हो रही है। आनरेबल मैम्बर को उसी आधार पर यहां बोलना चाहिए। खाहमखा हाउस का समय बारबाद करने का क्या फायदा?

श्री मनफूल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, जो पैसा मांगा गया है उसी का तो मैं समर्थन कर रहा हूँ और साथ मैं यह रिकवैस्ट भी कर रहा हूँ कि जो इस तरह के छोटे छोटे काम रह गये हैं, उनको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सड़कें स्कूलज और दूसरी जो सरकारी बिलडिंगें हैं, जिनका काम अधूरा पड़ा हुआ है, उनकी सरकार जल्दी से पूरा करे। सरकार इस ओर भी ध्यान दें, यह मेरी प्रार्थना है।

अब मैं मांग नं० 17 पर बोलना चाहता हूँ। आज कल बरसात से फसलों का काफी नुकसान हुआ है। मैं समझता हूँ कि जमुना के किनारे कीसल और जमीन जमुना में चली गई है। सरकार को चाहिए कि उस जमीन के किसानों को डबल मुआवजा दे क्योंकि उनका काफी नुकसान हुआ है। मेरे हल्के असंध में बस-अड्डे की काफी दिक्कत आ रही है, यह पब्लिक की भलाई का काम है इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाए।

श्री धीरपाल सिंह: यह मांग तो 1983-84 के ऐक्सैस खर्च से संबंध रखती हैं जो हो चुका है।

श्री मनफूल सिंह: ठीक हैं यह खर्चा तो हो लिया लेकिन आगे भी तो खर्चा करेंगे। आप तो पुराने सदस्य हैं। यह पैसा खर्च हो गया लेकिन गलत कर दिया था। मैं कहता हूँ कि आगे के लिए ध्यान रखा जाए। मेरे हल्के की एक छोटी सी सड़क हैं जो रारे से आदाना तक हैं। मेरा निवेदन है कि उसको तुरन्त बनाया जाए। इन भाब्डों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूँ।

उप मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): उपाध्यक्ष महोदय, कल सदन में सन् 1983-84 के जो कुछ अधिक खर्च हो गए थे, उनकी मांगे स्वीकृत के लिए प्रस्तुत की गई थी। मैं नहीं समझता था कि इस साधारण सी बात पर इतनी लम्बी चौड़ी बहस होगी। संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार यह आवश्यक है कि जितने पैसे का बजट में प्रोजेक्शन किया जाता है, यदि उससे अधिक खर्च हो जाए तो वह सदन के सामने स्वीकृत के लिए प्रस्तुत किया जाता है। संविधान की उस विधा को निभाने के लिए संवैधानिक आवश्यकता को पूना करने के लिए ये मांगे सदन के सामने प्रस्तुत की गई थी। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमसे यह पैसा अधिक मांगा जा रहा है और इस डिमांड में अधिक मांगा गया है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हम कोई अधिक पैसा नहीं मांग रहे हैं। जो पैसा मांगा जा रहा है वह तो खर्च हो

चुका हैं, अब कोई नई मांग नहीं है। यह तो जो खर्चा हो चुका हैं उसे स्वीकृत देनी हैं, यह संधिवान का तकाजा हैं। जहां तक देरी होने का संबंध हैं, उसका कारण यह हैं कि यह प्रोसैस बड़ा लम्बा हैं। पहले मामला पूरी तरह से विचार होता है और उसके पचात् रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती हैं। फिर विधान सभा के लिए स्वीकृत के लिए पे 1 किया जाता हैं। तो उन सभी विधाओं को निभाने के लिए ये मांगे पे 1 की गई थी। लेकिन माननीय सदस्यों का यह प्रयास होता हैं कि जब भी कभी अवसर मिलें तो हर सदस्य अपने क्षेत्र की कठिनाइयों और मांगों पर प्रकाश डालें। यह स्वाभाविक हैं, जनता ने उनकी चुन कर भेजा हैं। ये अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भी उनको मौका मिले उनको अपनी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहिए। यह उनका कर्तव्य हैं। मैं कोई नुक्ताचीनी नहीं करता। मैं माननीय सदस्यों की सराहना करता हूं कि अपने क्षेत्र की मांग के लिए, कठिनाई के लिए बड़े सजग हैं और हर वक्त चर्चा करते रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कई सदस्य बोले। डा० मंगल सैन ने कुछ बातें कहीं, सुझाव तो कुछ प्रस्तुत नहीं किया लेकिन फरीदाबाद के डी० सी० के साथ अपनी बातचीत का हवाला दिया। अगर कोई अधिकारी किसी माननीय सदस्य के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो उसका यह तरीका ठीक नहीं हैं, उसकी निन्दा की जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि डा० साहब के साथ यदि ऐसी कोई बात हुई हैं तो वे मुख्य मंत्री जी के और सरकार के नोटिस

में पूरा विवरण लाएं, उनकी विधायकता पूरी तरह से दूर की जाएगी।

श्री हीरा नन्द आर्य ने कुछ सुझाव दिए। यह बात ठीक है कि जब तक प्रशासनिक खर्च में कमी नहीं की जाएगी, तब तक विकास के कामों के लिए पैसा नहीं बचेगा। उनका यह कहना बिल्कुल सही है। दिन प्रतिदिन कर्मचारियों के वेतनों पर खर्च का भार बढ़ता जा रहा है। यह ठीक बात है कि सारे बजट का 50 प्रतिशत लगभग कर्मचारियों पर आहिस्ता आहिस्ता खर्च होने लग जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि प्रशासनिक ढांचे में सुधार के लिए कोई प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की जाए। उनका यह सुझाव बहुत अच्छा है और इस पर सरकार विचार करेगी। अगर आवश्यकता समझी जाएगी तो इस प्रकार का आयोग भी बनाया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने एक सुझाव यह भी दिया कि डी० आ० डी० ए० की दृष्टि से एजेंसियां विकास के कामों के लिए बनाई हुई हैं, उनको एक ही एजेंसी बनायी जाए। एक बात उन्होंने यह भी कही कि नहरों की सफाई के खर्च के बोगस बिल बनते हैं। इसके अलावा, कुछ और माननीय सदस्यों ने भी अपनी बातें कही हैं। खस तौर पर श्री रघु यादव जी ने, रावत जी ने और दूसरे कई माननीय सदस्यों ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार के बारे में काफी जोर-शोर के साथ चर्चा की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात मानता हूँ कि भ्रष्टाचार अभी है। लेकिन एक बात मैं

दावे के साथ कहता हूँ कि जब से चौधरी देवी लाल जी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी है, उस समय से हमने भ्रष्टाचार में काफी कमी लाने का पूरा प्रयास किया है और कर रहे हैं। इसमें काफी सफलता भी मिली है। पिछली सरकार के वक्त में कहा जाता था कि अगर कोई तहसीलदार भर्ती करवाना है तो 50 हजार रुपए लगेंगे, कोई सिपाही भर्ती करवाना है तो 10 हजार रुपए लगेंगे। इसके अलावा, उस सरकार के समय में अगर कोई तबादला करवाना होता था तो पैस लिए जाते थे और कहा जाता था कि तबादले के इतने हजार लगेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इस लानत को चौधरी देवी लाल जी ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने ऐसा कोई मौका नहीं आने दिया और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश का कोई भी आदमी हमें ऐसा उदाहरण दे कि उसने कहीं पर भर्ती में या तबादले के लिए कोई पैसा दिया है? हमारे सिचाई के विभाग के मंत्री जी हाउस में बैठे हैं। बहन सुशमा जी आज अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सकी। यदि वे आज हाउस में होती तो अपने विभाग के बारे में जवाब देती। लेकिन मैं यह बात विवास के साथ कहता हूँ कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में, नहरी विभाग में, बिजली विभाग में यानी हर विभाग में इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने बिजली के लिए कोई नया प्रोजेक्ट या नया थर्मल प्लांट या कोई हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट तो नहीं लगाया, फिर भी

हरियाणा के अन्दर बिजली कहां से बढ़ गई? आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर बिजली सप्लाई में यह चमत्कार कैसे हो गया? जहां पहले किसानों को चार घंटे बिजली नहीं मिलती थी, कारखानों पर बिजली का कट लगाया जाता था और कारखाने बंद रहते थे वहां आज 24 घंटे कारखानों, किसानों और घरेलू कामों के लिए बिजली मिल रही थी। यह कहां से आई? यह बिजली इसलिए आई क्योंकि पहले बिजली बोर्ड में भ्रष्टाचार था और बिजली बड़े बड़े कारखानेदारों को बेच दी जाती थी और बिजली की चोरी होती थी। अफसर और कर्मचारी रिक्त लिया करते थे, वह सब अब बंद हो गया है। मैं चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी सख्ती के साथ काम करके बिजली बोर्ड में सारे भ्रष्टाचार को बांद करे आज हर क्षेत्र में बिजली उपलब्ध कराई है, यह बहुत ही सराहनीय काम है। बहन सुशमा जी ने भी अपने विभाग में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए काफी अच्छे कदम उठाए हैं। सभी विभागों में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हम सब को तैयार रख रहे हैं लेकिन यह बहुत पुरानी बीमारी है, जल्दी खतम होने वाली नहीं है। मैं आपके सामने एक मिसाल देता हूँ जो हरियाणा के अन्दर दी जाती है। एक 60-70 साल का व्यक्ति था। उसने अपना धर्म बदल लिया और मुसलमान बन गया। वह मस्जिद में गया वहां पर मौलवी ने उसको बैठा दिया और कहा कि अल्ला अल्ला करो। जब वह व्यक्ति अल्ला अल्ला करने लगा तो उसके मुह से राम राम निकलने लगा। इतने में वह मौलवी उस व्यक्ति

के एक लात मारली और कहने लगा, क्यों वे मस्जिद में बैठ कर राम राम भजता हैं? इस पर उस व्यक्ति ने मौलवी से कहा कि मौलवी साहब 60-70 साल से घुसी हुई राम राम तीन दिन में आत्मा से कैसे निकल सकती हैं? तो यह भ्रष्टाचार एकदम खत्म कैसे हो सकता है यह तो अहिस्ता अहिस्ता ही खत्म होगा। यह बीमारी अहिस्ता ही निकलेगी। इतने सालों की घुसी हुई रि वत व भ्रष्टाचार एकदम नहीं निकल सकता लेकिन इसके लिए प्रयास चल रहे हैं और कोर्त्ता की जा रही हैं। चौधरी देवी लाल जी का जो नारा बिजली-पीन का प्रबंध और भ्रष्टाचार बन्द का है, उसो पूरा करने की तरफ प्रयास जारी हैं। हमारे दूसरे मेम्बरों ने भी कई बातें कहीं। डाक्टर महा सिंह जी ने अस्पतालो की बात बतालाई। यह ठीक है कि जितनी दवाई मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती लेकिन इसके लिए पिछले दिनो हमारी एक कमेटी बनी थी। हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी यहां बैठी हुई हैं। उस कमेटी में इस बात का प्रयास किया गया है कि दवाइयों के लिए कुछ बजट बढ़ाया जाये ताकि इसमें सुधार लाया जा सके। आयुर्वेदिक के बारे में जो बातें यहां पर कही गई हैं, वे भी ठीक कही गई हैं। भाई रघु जी ने बाढ़ के बारे में या दूसरी कुछ बातें वही कहीं है जो इन्होंने जनरल बजट पर बोलते हुए कही थी। श्री जगपाल सिंह चौधरी, श्री भगवान सहाय रसवत, और चौधरी मनफूल सिंह जी ने तथा दूसरे जिन साथियों ने जो बातें इन डिमांडो पर बोलते हुए रखी हैं, उनके बारे में मैं प्रत्येक विभाग के मंत्री जी से कहूंगा और उनके नोटिस में लाऊंगा कि जो कठिनाइयां जिन जिन की हैं,

उनको दूर करने की कोशिश की जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इन भावों के साथ मैं आपके द्वारा सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि 219771085 रुपये की जो ऐक्सिस डिमांड है और जो सन् 1983-84 में अधिक खर्च किया गया था संविधान के अनुच्छेद 205 के मुताबिक स्वीकृत की जाए।

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 393012 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1983-84 in respect of 2-General

The Motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs.4231271 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1983-84 in respect of 6-**Revenue.**

The Motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 14004882 be made to regularise the charges already incurred in excess of

the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1983-84 in respect of **10-Medical & Pulic Health.**

The Motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That a grant of aa sum not exceeding Rs. 411000 be made to regulatise the chares already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1983-84 in respect of **13-Social We;fare &Rehabilitation.**

The Motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That a grant of aa sum not exceeding Rs. 220493 be made to regulatise the chares already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1983-84 in respect of **14-Food and Supplies.**

The Motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That a grant of aa sum not exceeding Rs. 153314203 be made to regulatise the chares already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1983-84 in respect of **15-Irrigation.**

The Motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That a grant of aa sum not exceeding Rs. **2872280** be made to regulatise the chares already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1983-84 in respect of **17-Ariculture**

That a grant of aa sum not exceeding Rs. **1341740** be made to regulatise the chares already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1983-84 in respect of **18-Animal Development.**

The Motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That a grant of aa sum not exceeding **Rs.7806716** be made to regulatise the chares already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1983-84 in respect of **21-Community Development.**

The Motion was carried

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That a grant of aa sum not exceeding **Rs.10149912** be made to regulatise the chares already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1983-84 in respect of **23-Transport.**

That a grant of aa sum not exceeding Rs. 393012 be made to regulatise the chares already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1983-84 in respect of **24-Torurism**

The Motion was carried.

बिल्ल

(i) दि पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट्स (हरियाणा सैंकंड अमेंडमेंट) बिल, 1988

श्री उपाध्यक्ष: अब मिनिस्टर साहब, दी पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट्स (हरियाणा सैंकंड अमेंडमेंट) बिल, 1988 को कंसिडर करने के लिए मोान मूव करेंगे

Agriculture Minister (Shri Tayyab Hussain): Sir, I beg to move-

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री रघु यादव (रिवाड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय अभी हरियाणा के कृषि मंत्री चौधरी तैयब हुसैन जी ने पंजाब कृषि उपन मार्कीटिंग मण्डीकरण हरियाणा द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1988 सदन के पटली पर रखा हैं। व्यवधान माननीय उपाध्यक्ष महोदय इस संशोधन विधेयक पर अपने विचार प्रकट करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में आजादी के बाद कोई भी व्यवस्था भासन चलाने के लिए हो सकती थी। देश की जनता

ने, दे 1 के लोगों ने दे 1की आजादी के लिए संघर्ष किया था और अनेकों बलिदान दिये थे। जनता ने दे 1 का भासन चलाने के लिए लोकतन्त्र की व्यवस्था को चुना था। लोकतन्त्र का अर्थ है स्वराज और स्वा 1सन। स्वराज और स्वा 1सन तभी सम्भव है जब छोटी से छोटी इकाई से ले कर बड़ से बड़े केन्द्र तक हम लोग जनता की मर्जी से अपने पदभार ग्रहण करें, जनता की इच्छा के अनुरूप आचरण करें, नीतियां निर्धारित करें और योजना बनाए। उपाध्यक्ष महोदय, इस सं 1ोधन विधेयक में कहा गया है कि मार्किट कमेटियां के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, उनसे विवाद पैदा हो जाते हैं, गुटबाजी होती है और झगड़े पैदा होते हैं। मैं माननीय कृषि मंत्री जी की इस बात से इत्तफाक नहीं करता हूं। जब चुनाव होते हैं तो जो निर्वाचक मण्डलन होता है, चाहे वह 20 सदस्यों कीकमेटी ही क्यों न हो, उसमें खेमे बन जाते हैं। लोग पहले, दूसरे या तीसरे उम्मीदवार के पक्ष में विभाजित हो जाते हैं। क्योंकि चुनावों में ऐसा होना स्वाभाविक है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी बात केवल मार्किट कमेटिया के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनने में ही नहीं है, गांवों में पंचायत के चुनावों में सरपंच और पंच चुनने में गुटबाजी, धड़े बन्दी पैदा होती है। नगरपालिकाओं, विधान सभाओं और लोक सभा के चुनावों में भी ऐसा ही होता है। यह कहना कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचक मण्डल में गुटबाजी और धड़े बन्दी पैदा हो जाती है, इसलिए मनोनयन कर लिया जाए उचित नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का मनोनयन या नामिने 1न करना उचित नहीं है।

फिर कौन सा निर्वाचक मण्डल हैं जो स्वयं मनोनीत हैं? मार्किट कमेटी के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और ये मनोनीत सदस्य, ये नोमिनेटिड मैम्बरज अपने मे से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लें यह भी स्वीकार नहीं, यह लोकतंत्र और प्रजातन्त्र की प्रक्रिया और भावनाओं के प्रतिकूल होगा, अनुकूल नहीं होगा। सदस्यों को तीन वर्ष के लिए मनोनीत किया जाता है लेकिन इस विधेयक में कहा गया है कि ऐसी कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है जिन के कारण उन सदस्यों के बीच में से हटाने की जरूरत पड़ती हैं। इसलिये ऐसा अधिकार भी दे दिया जाए कि जो सदस्य मनोनीत हैं जब मर्जी आए या जरूरत पड़ जाए, मंत्री जी के भाब्दों में, उन्हें हटा दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सभी सदस्य एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए हैं और अपने इस कार्यकाल के दौरान काम करते हैं। मार्किट कमेटी के जो मैम्बर होते हैं, वे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से केवल इसी नीति बात कर सकते हैं तालमेल रख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि मार्किट कमेटी का अध्यक्ष उनके वोट के द्वारा चुना जाता है। यह आपसी तालमेल यह सुझावों का आदानप्रदान और परस्पर सहयोग मार्किट कमेटी के सुचारु संचालन और मण्डी क्षेत्र के उत्थान व विकास के लिये बेहद जरूरी भी हैं। (इस समय अध्यक्ष पदासीन हुए) अगर अध्यक्ष उनके मत के द्वारा नहीं चुना जाता है तो अध्यक्ष मार्किट कमेटी के मनोनीत सदस्यों को कह देगा कि मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है और अगर कोई सदस्य फिर भी किसी बात के लिए इनसिस्ट करेगा तो वह कह देगा कि मैं ओपी

चण्डीगढ़ जा रहा हूँ और वहां से तेरे को हटवा कर आता हूँ।
Sir, he will not hold office at the pleasure of the members of the Market Committee. Therefore he will not be responsible to them and Members will have no business to do in the functioning of their Market Committee. इस तरह से वह कमेटी वाली बात खत्म हो जायेगी, एक ऐडमिनिस्ट्रेटर वाली बात रह जायेगी। वह समिति का अध्यक्ष नहीं रह जायेगा बल्कि वह एक अधिकारी के रूप में, केन्द्र के रूप में काम करना शुरू कर देगा। अध्यक्ष महोदय, हमें खूब सोच समझ कर मनोनीत करना चाहिए और जो मनोनीत हो उन्हें अपने मण्डल में अपनी समिति में अपने पदाधिकारी को चुनने का मौका दिया जाना चाहिए। कल जब यह संतोधान विधेयक पेश किया गया था तब भी हमने माननीय कृषि मंत्री महोदय से गुजारिश की थी कि इसे वापिस ले लें। अध्यक्ष महोदय हम सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं। जितनी आस्था निश्ठा किसी भी मेरे अन्य माननीय सदस्य को हमारे दल में, हमारे दल में नहीं है, पूरी निश्ठा और आस्था है हम लोग भी यहां पर जनता द्वारा चुन कर भेजे गये हैं इसलिये जो कुछ भी सदन के सम्मुख प्रस्तुत हो, उस पर हम लोगों की भावना के अनुरूप बोले यही उचित है। आपके पीछे भी जो सदन की दीवार पर लिखा हुआ है उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): सर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। हाउस के सामने छोटी छोटी दो अमेंडमेंट्स हैं। एक पर विचार हो रहा है और दूसरी पर होना है।

इसलिए आप टाईम का ख्याल रखे ताकि एक बजे तक बिजनैस समाप्त हो जाये।

श्री अध्यक्ष: ठीक हैं, टाईम का ख्याल रखेंगे।

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय, एक निर्वाचित प्रतिनिधि और इस महान सदन विधेयक लोकतांत्रिक प्रक्रिया और भावना के अनुकूल नहीं हैं इसलिए माननीय कृषि मंत्री इसे वापिस ले लें और कोर्न। यह करें कि मार्किट कमेटी के मैम्बर्ज भी बजाए नोमीनेट करने के कृषकों, व्यापारियों और पल्लेदारों में से उनके अनुपात के आधार पर इलैक्ट हों। हमें मार्किट कमेटी जल्दी से जल्दी खड़ी करनी चाहिए। सत्तारूढ़ दल का सदस्य होने के नाते मैं यह कहूंगा कि अगर कृषि मंत्री ने इसे विदड्रा नहीं किया और वोट के लिए सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया तो मेरी भी हां ही आपको सुनने को मिलेगी।

श्री महा सिंह (राई): अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन विधेयक रखा गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह विधेयक बहुत सोच समझ कर और लोगों के हितों के अनुरूप रखा गया है। आज हर जगह पर प्रजातन्त्र है। गांवों में पंचायत के चुनाव होते हैं और पार्लियामेंट के होते हैं लेकिन किसी कोई आपत्ति नहीं है। चुनाव होते हैं, सदस्य इलैक्ट होते हैं लेकिन कुछ जगहें ऐसी है जहां चुनाव का नाम ले कर प्रजातन्त्र और जनतंत्र की भावनाओं को लागू नहीं किया जाता है।

मिसाल के तौर पर, अगर कोई भाई यह कहे कि आई० ए० एस० ओर आई० पी० एस० अफसरों का भी चुनाव होना चाहिए तो मैं समझता हूँ कि यह बात दे आ के लिए और ऐडमिनिस्ट्रे टन के लिए गलत होगी। जहां सदस्य मनोनत ही हों वहां पर पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। इसलिए यह जरूरी है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लाजमी तौर पर नौमीनेट किये जाने चाहिए। यह हमारी मार्किट कमेटियों के हित में होगा और यही प्रजातंत्र के भी हित में होगा। मार्किट कमेटिया में किसान लोग भी आते हैं, तोला भी आते हैं और आढ़ती भी आते हैं। इन सब की रिप्रेजैन्टे टन होती हैं। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नौमीनेट कर दिया जाये तो वह सब सर्व-सम्मति से उन लोगों की भलाई का काम मार्किट कमेटी में करेंगे। उन में फ्रिक् टन नहीं होगी और पार्टीबाजी नहीं होगी। अन्त में मैं तहेदिल से इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री मंगल सैन (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, कल जब इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया जा रहा था तब भी मैंने अपना दायित्व समझते हुए इसके विरोध में बात कही थी और आज भी मैं इन भाब्डों में अपनी बात को दोहराना चाहता हूँ। इस दे आ में हमने लोकतांत्रिक जीवन पद्धति स्वीकार की हैं। Sir, we have accepted democratic way of life. अब हम इससे इतना घबराते हैं कि गावों में तो चुनाव हो जायें, कमेटी में चुनाव हो जायें, असैम्बली में चुनाव हो जायें, लोक सभा के चुनाव हो जायें, लेकिन मार्किट कमेटिया के चुनाव न हो जिसके जिसके नुमायंदे

तोला, अनपढ़ मजदूरी आदमी हैं, जिनके नुमायंद आढ़ती और किसानों में से वहां पर बेंटेगे।

कोआप्रेटिव सोसाइटीज में से वहां पर बेंटेगे उनके चुनाव क्यों नहीं होने चाहिये? पहली बार जब यह विधेयक बनाया गया था, पंजाब असैम्बली में मुझे भी सौभाग्य से मैम्बर होने का मौका मिला था। मुझे याद हैं तब भी बड़े जोरदार भाब्दों में सरकारी बेंचों की तरफ से यह कहा गया था कि लोकतन्त्र होना चाहिए। चुनाव होते रहे हैं यह बता ठीक हैं कि अब चुनाव बहुत खर्चीले हो गये हैं। ओल्ड वैल्यूज भी अब नहीं रही हैं। यह बात भी ठीक है कि हमने ओवर आल रिफार्मज के लिए इलैक इन कमी इन को लिखा हैं। प्रधान मंत्री जी नें अधूरे मन से यह ककहा भी हैं कि हम इस बारे में कुछ करेंगे। यह बात भी ठीक है कि वैल्यूज का इरोजन भी हुआ हैं। मुझे माफ करेंगे, जिनके हाथ में केन्द्र में सत्ता हैं, सबसे बड़े मुजरिम वे हैं जम्हूरियत का जनाजा निकालने में। कम से कम हमें उस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। मेरा तो सुझाव मात्र हैं। मैं अपने मित्र और सम्मानित सदस्य डाक्टर महासिंह जी से हय कहना चाहूंगा कि यह बात ठीक हो सकती हैं कि उनका अनुभव इतना नहीं हैं। उन्होंने संघर्ष में हमारा साथ दिया हैं। उनकी इस ब्यूरोक्रेसी की बात कहां से याद आ गयी? अगर आई० ए० एस० अफसर इतने अच्छे हैं तो हमारी यहां पर आने के क्या जरूरत हैं? आई० ए० एस० अफसर इतने अच्छें प्र तासक तो हो सकते हैं लकिन इनका काम

तो ऐक्जीक्यूट करना हैं, पालिसी बनाने वाले तो ये लोग तर्जुर्बेकार हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग के बेटे हैं, इनको कई पार्टियों का तर्जुबा भी हैं। चूंकि वह मेरे परम मित्र हैं, इसलिये मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता। मैं उनको अल्ला और भगवान के नाम पर यह कहूंगा कि जम्हूरियत के साथ ऐसा मजाक नहीं होन दें। मैं सड़ अवार पर एक बात और कहना चाहूंगा। प्रोफ़ैसर सम्पत सिंह जी बैठे है और वीरेन्द्र सिंह जी भी विराजमान हैं। होडल में अभी मार्किट कमेटी का चुनाव हुआ हैं आनरेबल मैम्बर भी यहां पर बैठे हैं। अगर वह चाहे तो जवाब दे दें। मैंने पुलिस कप्तान फरीदाबाद को भी कहा हैं। मुझे ऐसा पता लगा हैं कि दो एम0 एल0 एज0 की राइविलरी में एक एम0 एल0 ए0 ने एक संरपंच को अगवा कर लिया और उसके 11000 रूपये साथ चले गये। It is a very serous mater. He umst come out with his ansewer. यह हुआ हैं या नहीं हुआ हैं, यह पता लगना चाहिए। अगर हुआ हैं तो nobody is above law. अगर मैं कोई हिमाकत करता हूं तो मुझे भी माफ नहीं होना चाहिये। कम से कम किसी सदस्य को तो माफ होना ही नहीं चाहिये। हमे तो कानून की इज्जत करनी चाहिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह: डाक्टर साहब, इसीलिए तो नोंमीने ान कर रहे हैं ताकि अगुवा न हो।

श्री मंगल सैन: तो फिर एम0 एल0 एज0 भी अगुवा न हों, उनकी भी नौमिने ान होनी चाहिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह: डाक्टर साहब, वह भसी हो गये थे।

श्री मंगल सैन: उनको टाईगर कहा करते थे और बंसी लाल जी ने ऐसे टाईगर को गीदड़ बना दिया था। वह सदन में मौजूद नहीं हैं। सकी मूँछे मुडवा दी। उस बेचारे को जयपुर के एक होटल में रखा गया था। वह डिस्कवालीफाई हो गया। नारनोंद की जनता ने उस आदमी को इस बार नहीं भेजा है, किसी दूसरे आदमी को भेज रखा है। इसलिए मेरा कहना यह है कि इसमें ऐसी बात न रखें तो अच्छा होगा। बस मैं यही बात कहूँगा।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह (मेवला महाराजपुर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो अमैडमेंट पे 1 की हैं, इस पर बहुत से साथियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं।

Mr. Speaker: It is a very limited matter.

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: मैं केवल अपने विचार ही प्रकट करूँगा। अध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं रघु यादव और डस0 साहब को बधाई देता हूँ कि सात्ता में हेते हुए भी उन्होंने अपनी निष्पक्ष और सही राय दी है।

श्री रघु यादव: अगर आपयह करते तो यह नौबत ही नहीं आती।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और हमने प्रजातन्त्र को मान्यता दी और आज भी चालीस साल के बाद हमारी मान्यता प्रजातन्त्र में घटी नहीं है बल्कि मजबूत हुई है। अध्यक्ष महोदय, डा0 साहब ने जो कुछ कहा मैं उसे इत्तफाक नहीं रखता। हो सकता है डा0 साहब ने यह बात पार्टीबाजी के असर के कारण कही हो कि प्रजातंत्र का जनजा केन्द्रीय सरकार ने निकाला था। डास साहब को 1977 का समय याद होगा। 1977 के बारे में सारा देश जानता है।

श्री अध्यक्ष: महेन्द्र प्रताप जी, आप बिल पर ही बोले। आप कन्ट्रोवर्सी की बात न करें।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं कन्ट्रीवर्सी की बात न कर रहा हूँ। डाक्टर साहब ने कुछ बातें कही हैं इसलिये मैं कह रहा हूँ। जब कोई गलत बात की जाती है तो उसका उत्तर आना ही चाहिए। (गौर एवं व्यवधान) 1977 में भी यही सरकार थी और उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने ही इलैक्ट्रान कराने का फैसला किया था। ऐमरजैन्सी की आड़ में बहुत लोगों ने कहा कि इलैक्ट्रान को आगे किया जा सकता है लेकिन इंदिरा जी, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, ने कहा कि नहीं प्रजातंत्र का यही तकाजा है कि इलैक्ट्रान अभी करवाए जाएं। उन्होंने इलैक्ट्रान करवाए। जहां तक ऐमरजैन्सी का ताल्लुक है.....(व्यवधान)

एक आवाज इस वक्त ऐमरजैन्सी पर बोलने की क्या जस्टीफिके ान हैं?

श्री अध्यक्ष: महेन्द्र प्रताप जी, आप बिल पर ही बोले। आप कन्ट्रोवर्सी में न पड़े।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर ज्यादा समय नश्यट नहीं करना चाहता। इस विशय पर बहुत बहस हो चुकी है कि ऐमरजैन्सी क्यों लगी थी? भाोर

श्री अध्यक्ष: आप सवाल करने के वक्त भी ऐसा ही बोलते हैं (व्यवधान) आप बिल पर ही बोलें।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: कभी भी इन्दिरा जी ने प्रजातन्त्र के खिलाफ काम नहीं किया। कल तक तो डा0 साहब कुछ और ही बोलते थे। फरीदाबाद में तो किसी और तरह के आसूं बहाते थे लेकिन यहां आकर पता नहीं क्या मजबूरी हो जाती है? भाोर

Mr. Speaker: This is not the way, Haehnder Partap Ji. I would not allow you to speak. You always o beyond the scope of the matter under discussion.

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: इन्दिरा गांधी जी ने प्रजातन्त्र के विपरीत कभी कोई काम नहीं किया। अगर प्रजातंत्र के विपरीत काम करने की बात आप सुनना चाहते हैं जो मैं नहीं कह रहा हूं, सारा दे ा कह राह हैं, इस प्रदे ा की जनता भी कह रही हैं।

म्यूनिसिपल कमेटिज के इलैक गंज में कल तक तो डा० साहब भी कुछ और ही कहते थे। आज पता नहीं डा० साहब कौन सी भाशा बोलने लगे हैं। फरीदाबाद में जाकर तो किसी और तरह के आंसू बहाते थे लेकिन पता नहीं यहां आकर क्या मजबूरी हो जाती है कि कुछ और ही बोलना भुरु कर देते हैं। (गोर) इलैक गन कमी गन का फैसला ताना गही का सबूत है या प्रजातंत्र का सबूत है? भाोर

Mr. Speaker: Mr. Mahender Partap Singh, please have your seat. I will not allow you to speak in this matter.

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि यह लोग चाहते हैं। (गोर)

Mr. Speaker: Mr. Mahender Partap Singh, I will not allow you to speak like this.

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, आप मुझे एक मिनट दे दे। मैं अपनी बात एक मिनट में खत्म कर देता हूँ।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। इन्होंने कहा है कि ये बाहर कुछ आंसू बहाते हैं और अन्दर कुछ कहते हैं। हम तो जहां थे वही रहेंगे। मैं वह नहीं हूँ कि लोकदल की टिकट लेकर इलैक गन जीतूँ और फिर कांग्रेस में घुस जाऊँ। हम तो जहां थे वही रहेंगे और अर्थी निकलेगी तो अपने घर से ही निकलेगी। (गोर)

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, मुझे कृपया एक मिनट दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष: आप तो जानबूझकर कन्ट्रोवर्सी में फंस जाते हैं। जब सवाल पूछते हैं तब भी कन्ट्रोवर्सी में फंस जाते हैं।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, जब इन्होंने कुछ कहा है तो मेरा जवाब देना जरूरी हो जाता है।

Mr. Speaker: I Will not give you more than one minute.

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा। माननीय मंत्री महोदय ने कांग्रेस की परम्पराएं देखी हैं। पता नहीं इन पर क्या असर पड़ गया। पता नहीं सरकार को मार्किट कमेटीज में नौमिने इन की क्या जरूरत पड़ गई है? भाई रघु याद ने जो कुछ कहा मैं उससे इत्तफाक करता हूं कि पता नहीं सरकार ने क्यों लिख दिया कि नौमिने इन करने से मार्किट कमेटीज में धड़ेबाजी कम होगी और मार्किट कमेटीज अच्छी तरह से काम कर सकेंगी। अध्यक्ष महोदय जो व्यक्ति नौमिने इन से मैम्बर बनते हैं ओर इत्तफाक राय या बहुमत के आधार पर उन व्यक्तियों को धड़ेबाजी से अलग नहीं रख सकते ऐसे व्यक्तियों को नौमिनेट करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए यह तर्क न्याय संगत नहीं है। इस तरह तो पंचायत के मैम्बर्ज, एम0 एल0 ए0 और एम0 पीज 0 जो चुनकर आते हैं वे भी धड़बाजी पैदा करते हैं। अगर भुरु से ही इस को

बन्द कर दिया जाए तो अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि इसके पीछे सरकार की क्या मन्ता है? पंचायतों के इलैकान हो चुके हैं। एम० एल० एज० को नौमीनेट करना या न करना मैं तो सरकार की इस बात को समझ नहीं सका कि इस के पीछे मन्ता क्या है, लेकिन मैं आपके माध्यम से, सरकार से व मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि चूंकि पंचायत के इलैकान हो चुके हैं, अगर आप पुरानी परम्पराओं के अनुसार जिनपर आप की आस्था थी, अल्प संख्यक समुदाय के लोगों में से आप मार्किट कमेटी के मैम्बरज नौमीनेट करते तो ज्यादा बेहतर होता। मुझे पूर्ण आशा है कि सरकार अब य मेरे इन सुझावों पर विचार करेगी। इन भाव्दों के साथ मैं इस अमैडमेंट का विरोध करता हुआ अपने स्थान लेता हूं।

श्री भगवान सहाय रावत (हथीन): अध्यक्ष महोदय, आदरणीय कृषि मंत्री महोदय ने जो पंजाब कृषि उपज मण्डी (हरियाणा द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1988 प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरे से पहले आदरणीय डाक्टर साहब जो बड़े अनुभवी हैं और इस हाउस के विधायक चले आ रहे हैं, ने अपने विचार रखे। उनका अपना अनुभव है और मेरा अपना प्रथम बार विधायक चुने जाने के बाद मार्किट कमेटी का थोड़ा सा निजी अनुभव है। इस संशोधन विधेयक की जो मूल आधार बात हैं, उसमें कोई संशोधन नहीं है। पहले भी परम्परागत ढंग से मार्किट कमेटियों के मैम्बरज

नौमिनेट होते रहे हैं और आज सं गोधन केवल मात्र इतना हैं कि नौमिनेटिड मैम्बर्ज में से उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनो ही नौमीनेट होंगे। इस बारे में तो मैं कृषि मंत्री महोदय और पअनी सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि वास्तव में उन्होंने उस पुरानी प्रथा, खु जिससे हरियाणा का नाम कलंकित रहा हैं, खरीदो फरोखत के नाम से कलंकित रहा हैं, विधायकों का इधर-उधर जाने के नाम से कलंकित रहा हैं, यह बिल लाकर इन सब कलंकित बातों से प्रान्त को बचा लिया हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो भुगतभोगी रहा हूं। यह प्रैक्टिकली दिक्कत रही हैं कि प्रत्येक मण्डी क्षेत्र में तीन-तीन, चार-चार विधायकों का क्षेत्र पड़ता हैं और आज जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, इसके प्रतिनिधियों को पिछले 41 सालों से मार्किट कमेटी का गांव हसनपुर क्षेत्र के पड़ते हैं। निजी रूप से जिन लोगों का प्रतिनिधित्व मैं करता हूं उनका हक मांगना मुझे न्याय संगत लगता हैं। क्योंकि जब इन कमेटियों के मैम्बर्ज को नौमीनेट किया जाता था, उसके बाद चेयरमैन और वाईस चेयरमैन की इलैव इन के लिए हफड़ा तफड़ी मचती थी और लड़ाई झगड़े की नौबत आतीथी। सामाजिक रूप से वहां के प्रतिनिधि को भी जिम्मेदार ठहराया जाता था, लेकिन मैं सदन के सामने एक बात कहना चाहता हूं और डाक्टर मंगल सैन जी को आमंत्रि करता हूं कि जिस मार्किट कमेटी के बारे में उन्होंने रैफरेन्स दिया हैं उस सम्बन्ध में वह बाहर हम से अलग से बात कर लें और सारी बातचीत जानकर जो हमें आदे ा देंगे, हमें मन्जूर होगा। इस सं गोधन की वजह से एक मार्किट कमेटी को

तीन चार लाख रूपया मिलेगा। यह तो सब को मालूम है कि यह अतिरिक्त राशि विकास कार्यों के लिए प्रयोग होगी।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरा प्वांचट आफ आर्डर है। स्पीकर साहब, क्या कोई माननीय सदस्य किसी एम0 एल0 ए0 के बुजुर्ग पिता जी के बारे में कोई कमेंट कर सकता है? ये गया राम आया राम के बारे में कह रहे हैं। (भाोर)

श्री भगवान सहाय रावत: स्पीकर साहब, मैंने गया लाल व किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ नहीं कहा है। (भाोर) मैंने आने वाले और जाने वाले के विषय में कहा है। (भाोर) मैंने उनका नाम नहीं लिया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, जब वीरेन्द्र नारायण चक्रवर्ती जी आया राम गया राम की रिपोर्ट लिख रहे थे, उस समय डाक्टर साहब अपने जमाने में विपक्ष में सर्वेसर्वा हुआ करते थे। बड़े अफसोस की बात है कि इन्होंने उस वक्त इस बारे में कुछ नहीं कहा था और आज डाक्टर साहब यहां पर तीर चला रहे हैं।

श्री भगवान सहाय राम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि जहां हम अतिरिक्त राशि विकास कार्यों के लिए देते हैं वहां मार्किट कमेटीज का बजट 50 लाख रुपए का है। निश्चित रूप से उससे विकास कार्य हो सकेंगे। इन भावों के साथ मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूँ।

श्री उदय (भान हसनपुर): स्पीकर साहब जो प्रस्ताव रखा है और मार्किट कमेटीज के बारे में जो भावना डा० साहब और रघु यादव जी ने रखी, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी मैम्बर जो नौमिनेटड है, उनको अपनी मनमर्जी से चयन करना चाहिए और चेयरमैन सभी की सहमति से बनना चाहिए। इसमें हल्के वाली बात नहीं होनी चाहिए कि यह इस हल्के का है और वह उस हल्के का है। जहाँ तक खरीद-फरोखत की बात है, खरीद फरोखत तो वे आदमी करते हैं जो बन्दुक की नोक पर अगुवा करते हैं। (गोर)

श्री अध्यक्ष: ठीक है, आप कृपया बैठिए।

कृषि मंत्री (श्री तैयब हुसैन): मोहतरिम स्पीकर साहब, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि बिल मैं कोई इतनी लम्बी चौड़ी बात नहीं थी। यह तो एक बहुत जरूरी और मिनिमम अमेंडमेंट है। ऐसी कोई खास बात नहीं थी जिसके लिए रघु यादव, डा० मंगल सैन और खास तौर पर मेरे अजीज महेन्द्र प्रताप सिंह को कहने की जरूरत थी। इसमें सीधी बात थी। आज चौधरी देवी लाल का राज है। इसमें कोई जम्हूरियत की बात कहे तो वह अजीब सी लगती है। सरकार ने म्यूनिसिपल कमेटीज के चुनाव जल्दी करवा दिए और अभी पंचायतों के चुनाव भी करवाए हैं। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। इसमें किसी तरह की कोई बात नहीं है। डा० साहब ने एक तरफ तो होडल की मिसाल दी और दूसरी तरफ और कुछ कहा। फिर इन्होंने मेरे वालिद मरहूम का जिक्र किया

और मेरा भी जिक्र किया। मैं अपने तजुरबे की बिनाह पर यह अमैडमेंट लाया हूं ताकि काम सही ढंग से और सुचारु रूप से चल सके। मैं बताना चाहता हूं कि मार्किटिंग बोर्ड की, 1984-85 में कुल 22 करोड़ रूपये की आमदानी हुई थी और इस साल 28 करोड़ रूपए की आमदनी हुई है और वह भी सूखे के बावजूद। तो ये सारी चीजें हैं जिनको हम करना चाहते हैं। ये असलियत से हट कर बात करते हैं। श्री रघु यादव जी आइडियो लिज्म की बात करते हैं। इनको असलियत के करीब रहने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे नौजवान साथी हैं इनको प्रैक्टिकल नजरिये से करनी चाहिए। (भाोर)

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। (भाोर)

चौधरी तैयब हुसैन: स्पीकर साहब, मैंने तो यह कहा है कि ये हमारे नौजवान साथी हैं। मैं यह बात क्लियर कर देना चाहता था और चौधरी महेन्द्र प्रताप की वाकफियत के लिए बताना चाहूंगा कि पहली दफा 1970 में इस इस बिल में अमैडमेंट लाई गई थी और उस समय चौधरी भजन लाल ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर होते थे। (भाोर)

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: आप यह अमैडमेंट लाकर उससे भी आगे जा रहे हैं।

चौधरी तैयब हुसैन: स्पीकर साहब, इसी सिलसिले में 1978 में जब चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, इन्होंने इसमें प्रोविजन किया था कि चुनाव हो लेकिन किसी वजह से चुनाव नहीं हो पाए थे। उसके बाद मार्च, 1980 में सरदार तारा सिंह ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और चौधरी भजन लाल चीफ मिनिस्टर थे, उस समय भी नोमिने उन को प्रोविजन किया गया था। यह रिकार्ड की बात है और यह सही बात है। ये सारे मामलता उस सरकार के समय से भुरू हुए हैं। मैंने यह बात चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह जी की वाकफियत के लिए कही है। इसमें तो कोई खास बात नहीं है इस अमैडमेंट में तो यह प्रविजन किया गया है कि अगर मार्किटिंग बोर्ड में या मार्किट कमेटीज में इस तरह की चीज की जहां जरूरत हो इसको इस तरह से इस्तेमाल कर लिया जाए। पहले यह था कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उत्पादक सदस्यों और लाईसैन्सदारों में से चुने जाए। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया से मंडी समिति में धड़ेबन्दी और दू मनी हो जाती है। इसलिए ऐसी प्रवृत्ति से बचने और विकास गतिविधियों को तेज करने के लिये यह अमैडमेंट की जा रही है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएंगे इसमें कोई खास बात नहीं है। इन भाबदों के साथ मैं हाउस से प्रार्थना करूंगा कि इस अमैडमेंट को युनानीमसली पास करें।

Mr. Speaker: Question is -

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House consider the Bill Clause by clause.

CLASUE 2

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 Stand part of the Bill

The motion was carried.

CLASUE 3

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 3 Stand part of the Bill

The motion was carried.

CLASUE 4

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 4 Stand part of the Bill

The motion was carried.

CLASUE 5

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 5 Stand part of the Bill

The motion was carried.

CLASUE 1

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 1 Stand part of the Bill

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That the Enacting Formula be the Enacting Formula
of the Bill.

The motion was carried

Title

Mr. Speaker: Question is –

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Agriculture Minster will move
that the Bill be passed.

Agriculture Minister (Shri Tayyab Hussain): Sir, I
beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is -

That the Bill be passed

The Motion was carried.

(ii) दि पंजाब न्यू टाउनशिप (स्ट्रीट लाइटिंग एण्ड वाटर सप्लाई)
फीस हरियाणा रिपील बिल, 1988

Mr. Speaker: Now the House Home Minister will move for the consideration of the Punjab New Townships (Street Lighting and Water Supply) Fees Haryana Repeal Bill, 1988.

ग्रह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि पंजाब नए नगर क्षेत्र (मार्ग प्रकाशन तथा जल प्रदाय) फीस हरियाणा निरसन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion Moved-

That the Punjab New Townships (Street Lighting and Water Supply) Fees haryana Repeal Bil be taken into consideration at once.

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक पे र किया गया है,, मैं उसका समर्थन करने के लिय खड़ा हुआ हूँ। यह बात ठीक है कि एक जगह बसते हो, एक

जगह व्यापार करते हों और सारा काम एक जगह पर होता हो तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज हिन्दुस्तान को आजाद जहुए कई साल हो चुके हैं। सभी जानते हैं जब दे ज्ञ सन 1974 में आजाद हुआ था और कुछ लोग जो पाकिस्तान से यहां पर आए थे, उनको बसाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे और इन विशेष प्रावधानों के तहत ही उन लोगों को रियायते दी गई थी, उस वक्त उनको रियायते देना भुर्खा किया था क्योंकि जब एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह पर बसता है। तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दे 1 को आजाद हुए 41 साल के आस पास हो चुके हैं और अब हम नहीं समझते कि उन लोगों को नए भाहरों में मकान खरीदने के लिए गली में रोानी तथा मकानों में पानी उपलब्ध करवाने की फीस की अधिकतम दर क्रम 1: 3.50 रूपये व 6.50 रूपये निर्धारित की गई थी। इससे ज्यादा पैसा इन लोगों से अब तक नहीं लिया जाता था। चूंकि इन लोगों का आए हुए काफी साल हो चुके हैं और वे यहां पर अच्छी तरह से बस चुके हैं इसलिए अब उनको दी गई रियायते वापिस लेना एक अच्छी बात है। अब वे यहां पर अच्छी प्रकार से सैटल हो चुके हैं इस अमैडमैट के जरिये यह प्रावधान किया गया कि जो फीस लोगों से ली जा रही है वही फीस इन लोगों से भी ली जाएगी। जब ये यहां के बासिन्दे हो गए हैं तो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार हो, यह एक अच्छी बात है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ अपना स्थान लेता हूँ।

श्री रघु यादव (रिवाड़ी) अध्यक्ष महोदय, पंजाब नए नगर क्षेत्र (मार्ग प्रकाशन तथा जल प्रदाय) फीस हरियाणा निरसन विधेयक, 1988 जो सदन में विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है, इसका मैं समर्थन करता हूँ। इसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान के जो विस्थापित आजादी के समय यहां आये थे, उनको बसाने के लिये कई सुविधाएं दी गई थीं ताकि उनके पुनर्वास में उन्हें मदद मिल सके। उनके लिए एक सुविधा दी गई थी कि गलियों में रोानी और मकानों में पीन उपलब्ध कराने के लिए 3.50 रुपये व 6.50 रुपये फीस निर्धारित की जाये। इस अधिनियम में पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जो फीस 38 साल पहले निर्धारित की गई थी, बढ़ाई जा सके। आज इस संशोधन के जरिए सरकार को यह अधिकार मिल जायेगा कि वह वर्तमान दरों के अनुसार दूसरे नागरिकों की तरह ही इनसे भी फीस ले सकें। उनको आए दरों के अनुसार दूसरे नागरिकों की तरह ही इनसे भी फीस ले सके। उनको आए हुए काफी समय हो चुका है और अब वे यहां के बारबर के नागरिक बन गए हैं। यह बिल्कुल उचित और सही है कि समय के साथ वह समाज के अंग बनें इन लोगों को हर दृष्टि से हर क्षेत्र में शामिल करें यह अच्छी बात है। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए गुजारि करूंगा कि इस समय और भी बहुत से कानून ऐसे चल रहे हैं जिनके अन्तर्गत कर्ज लेने वालों को कर्ज लेते समय और बच्चों को स्कूल की फीस देते समय इस ब्यान पर दस्तख्त करने पड़ते हैं कि उसके परिवार की वार्षिक आय दो या तीन हजार से ज्यादा नहीं है। जिस समय ये दो या

तीन हजार रूपये की वार्षिक आय काफी होती थी। लेकिन आज मंहगाई के इस जमाने में जब कि रूपए का अवमूल्यन हो चुका है, दो या तीन हजार रूपये की वार्षिक आय बहुत ही मामूली है, कम है। जिस भावना से यह संशोधन बिल यहां लाया गया है उसे ध्यान में रखते हुए मैं यह गुजारि करूंगा कि वार्षिक आय के सम्बन्ध में तथा विधायकों और अधिकारियों को उन झूठे आंकड़ों का सत्यापित न करना पड़े। इन भावों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ धन्यवाद

श्री बलवीर सिंह (फतेहबाद): अध्यक्ष महोदय, इस बिल के जो एम्ज एण्ड औब्जेक्ट्स हैं, उस में कोई भाग नहीं किये तारीफ के योग्य हैं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो वाटर वर्क्स न्यू टाऊनशिप के लिए बनाए जा रहे हैं, उनमें से ही पानी सारी भाहरों को सप्लाई किया जा रहा है। जिसके कारण हर न्यू टाऊनशिप में पीने का पानी की समस्या बनी हुई है। हमारे फतेहाबाद टाऊनशिप में पानी नहीं मिलता और बिजली की भी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जहाँ एक तरफ ये पैसा बढ़ाने जा रहे हैं वहाँ लोगों की समस्याओं की तरफ भी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्टर को ध्यान देना चाहिए और इसकी पूरी छानबीन की जानी चाहिए ताकि टाऊनशिप में लोगों के लिए पानी और बिजली को सही व्यवस्था हो सके। टाऊनशिप में कई जगहों पर सड़को पर नी-लैवल तक के गढ़े पड़े हुए हैं। इस बारे में मैं यह सुझाव दूंगा कि खाली पैसे

बढ़ाने की तरफ ही ध्यान न दिया जाए बल्कि लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया जाए। इसके साथ ही मैं फतेहाबाद टाऊनशिप में बिजली और पानी की व्यवस्था की ओर ध्यान देने का निवेदन करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूँ और अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, मेरे दो साथी इस विधेयक पर बोले और उन्होंने इस का समर्थन किया है। श्री रघु यादव ने जो बात उठाई है वह इस विधेयक और महकमे से अलग है और सरकार इसे अलग से देखेगी। चौधरी बलवीर सिंह जी ने टाऊनशिप से बाहरों में पानी की सप्लाई का जिक्र किया है। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि टाऊनशिप में जो वाटर वर्कस बनाए जाते हैं वे सरकार के अनुदान से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा बनवाए गए हैं। जहां तक पानी की सप्लाई की दिक्कत का सम्बन्ध है, मेरे साथी मुझे अक्सर मिलते रहे हैं लेकिन उन्होंने इसका कभी जिक्र नहीं किया है। उनकी बात मेरे नोटिस में है और इसे जरूर दूर किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करूँगा कि इस बिल को पास किया जाए।

Mr. Speaker: Question is –

That the Punjab New Townships (Street Lighting and Water Supply Fees Haryana Repeal Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Titel

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Home Minister will move that the Bill be passed.

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि बिल पास किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब हाउस कल प्रातः 9:30 बजे तक के लिए ऐडजर्न किया जाता है।

(13:00 बजे)

(तत्पश्चात् सदन बुधवार, दिनांक 24 अगस्त, 1988 को प्रातः 9:30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ)